शारदा एक्ट

बालविवाह के प्रबल विरोधी अखण्ड ब्रह्मचारी महर्षि दयानन्द सरस्वती

लेखक—
देशभक्त कुँवर चाँदकरण शारदा.

* ओ३म् *

शारदा एक्ट

अथवा

बालविवाह निषेधक क़ानून

लेखक—

देशभक्त कुंवर चाँदकरण शारदा

बी० ए० एलएल० बी०, एडवोकेट

उपप्रधान अखिल भारतवर्षीय हिन्दू महा-सभा आदि २ अजमेर.

रचयिता

'कालेज होस्टल', 'दलितोद्धार', 'असह-योग', 'शुद्धि', 'माडरेटों की पोल', 'विधवा-विवाह', 'शुद्धि-चन्द्रोदय' इत्यादि

मुद्रक—

बाबू चांदमल चंडक प्रबन्धकर्त्ता, वैदिक-यन्त्रालय, अजमेर.

प्रथमावृत्ति २००० संवत् १९८५ वि० मूल्य ।) चार आना

शारदा एक्ट
अर्थात्
बालविवाह निषेधक क़ानून
की
विषयसूची

विषय-सूची

दानवीर बाबू जुगलकिशोरजी बिड़ला

ओ३म्

समर्पण

दानवीर

बाबू जुगलकिशोरजी बिड़ला

जिनकी नस-नस में परम-पवित्र
हिन्दू-धर्म का प्रेम कूट-कूट कर
भरा हुआ है।
जिन्होंने बालविवाह की कुरीति को
रोकने का सदा प्रयत्न किया है
और
जो इसके रोकने के लिये सदा
उद्यत रहते हैं। उन्हीं मान्यवर
मेरे प्रिय भ्राता के कर-कमलों में
यह पुस्तक सादर सप्रेम

समर्पित है।

FOREWORD.

It is a matter of great importance that a knowledge of the provisions of the Child Marriage Restraint Act should be widely diffused. I often get letters asking me for information about its provisions. A booklet containing the Act as amended with such Court rulings given in cases under the Act as are available with an explanation of the scope of the various Sections of the Act has been a desideratum. This want is now supplied by K. Chand Karan Sarda by this small book. Mr. Chand Karan has included in the book much useful matter which will be of great value to the readers such as the nature and extent of the corroding evil which the Act aims at removing, quotations from the Sastras showing that Child Marriage is against behests of the Sastras and that it is a recent practice and was unknown in ancient India. I am sure it will be of much use to the public. The book will be of help in spreading a knowledge of the law on the subject and will assist those who wish that this evil practice be stopped.

HAR BILAS SARDA.

दो शब्द

(फोरवर्ड का हिन्दी अनुवाद)

यह बहुत ही आवश्यक है कि बालविवाह निषेधक क़ानून की बातों का ज्ञान जनता को बहुत अधिक कराया जाय। मेरे पास अक्सर इस विषय की जानकारी के लिये पत्र आते रहते हैं।

एक छोटी पुस्तक की अत्यन्त आवश्यकता थी जिसमें कि आजतक का संशोधित कुल क़ानून हो और इस क़ानून के अन्तर्गत अदालतों के फैसले हों जिससे कि इस क़ानून की भिन्न २ धाराओं का भली प्रकार ज्ञान होजावे। इस कमी को कुंवर चाँदकरण सारडा ने इस छोटीसी पुस्तिका से पूर्ण करदिया है। कुंवर चाँदकरण सारडा ने इस किताब में बहुतसा लाभदायक मसाला एकत्रित कर दिया है जो कि पाठकों को बहुत काम का सिद्ध होगा। इसमें शास्त्रों के प्रमाण भी दिये गये हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि बाल-विवाह करना शास्त्रीय आज्ञाओं के विरुद्ध है और यह कुरीति नई चली हुई है और प्राचीन भारतवर्ष में नहीं थी। मुझे पूर्ण आशा है कि यह पुस्तक जनता के लिये बहुत लाभ-प्रद होगी। इस पुस्तक से बालविवाह निषेधक क़ानून के प्रसार में सहायता मिलेगी और जो व्यक्ति इस कुरीति को मिटाना चाहते हैं उनको भी इस पुस्तक से सहायता मिलेगी।

हरबिलास सारडा

प्रस्तावना

आजकल शारदा एक्ट की चर्चा प्रायः सभी स्थानों में होती है, परन्तु बहुतसे लोग इसके असली मन्तव्यों से अनभिज्ञ हैं। जिस प्रकार स्त्री-सहवास क़ानून पास हुए ५० वर्ष हो गये, परन्तु अभी तक लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इसी प्रकार बहुत से लोगों को बाल-विवाह-निषेधक क़ानून गत ९ वर्षों से पास होने पर भी इसके विषय में बहुत कम जानकारी है। इस वास्ते यह आवश्यक होगया कि शारदा एक्ट की भली प्रकार जानकारी कराने के लिये व बाल-विवाह रोकने के लिये तथा समाज-सुधारकों को उत्साहित करने के लिये एक छोटी पुस्तक शारदा एक्ट के विषय में जनता को भेंट की जाय।

हमारे पास शारदा एक्ट के विषय में इतने पत्र, प्रस्ताव और व्याख्यान हैं कि शारदा एक्ट का विस्तृत इतिहास लिखा जावे तो ५०० पृष्ठों से अधिक पृष्ठों वाली पुस्तक बन जावे, परन्तु हमने सब चीज़ों को काट-छांट कर एक छोटी-सी

पुस्तक ही जनता जनार्दन के सामने रक्खी है। इस पुस्तक में सब से प्रथम बाल-विवाह निषेधक क़ानून (Child Marriage Restraint Act) जो ६ अप्रेल सन् १९३८ तक संशोधित हुआ है उसका हिन्दी अनुवाद है। तत्पश्चात् इस पुस्तक में पांच अध्याय रक्खे गये हैं। प्रथम द्वितीय अध्यायों में बालविवाह रोकने के लाभ बतलाये गये हैं। बालविवाह से क्या २ हानियां होती हैं। बालविधवाओं को कैसे २ दुःख उठाने पड़ते हैं। बालविवाह से कितनी बाल-मृत्युएं होती हैं। प्रसूतकाल में कितनी युवतियां इस बाल-विवाह के कारण मर जाती हैं। इत्यादि बातें बतलाकर शारदा एक्ट के अनुकूल मुक़द्दमे चलाने की विधि बतलाई गई है। शारदा एक्ट के मुक़द्दमों में क्या २ विघ्नबाधायें आती हैं? बालविवाह के अपराधियों को सज़ा कराने के क्या उपाय हैं? बालविवाह करने के लिये जो ब्रिटिश भारत निवासी देशी राज्यों में चले जाते हैं उनको सज़ा कराने के क्या उपाय हैं? इत्यादि बातें बतलाई गई हैं। तृतीय अध्याय में शारदा एक्ट का संक्षिप्त इतिहास और इसके विषय में एसेम्बली में वादविवाद दिया गया है। चतुर्थ अध्याय में बालविवाह निषेधक क़ानून के संबंध में अनेक शंकायें तथा उनके उत्तर दिये गये हैं जो जनता की जानकारी के लिये लाभप्रद सिद्ध होंगे। अब भी कई स्थानों पर पुराने विचार

के सनातनी बहिन भाई इस बात को मानते हैं कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथ बालविवाहों की आज्ञा देते हैं और बालविवाह नहीं करने से पाप लगता है उन सब भाइयों तथा बहिनों का भ्रम निवारण करने के लिये वेदों तथा शास्त्रों के प्रमाण देकर पंचम अध्याय लिखा गया है। इसके पश्चात् परि-शिष्टों में अंग्रेज़ी में शारदा एक्ट तथा हाईकोर्ट के फैसले दे दिये हैं तथा अर्जियों के नमूने भी दे दिये हैं ताकि साधारण जनता बाल-विवाहों को रोकने के लिये स्वयं अर्जियां दे दें।

मैं उन सब महानुभावों का अत्यन्त कृतज्ञ हूं जिनकी पुस्तकें व लेख पढ़कर मुझे इस पुस्तक के लिखने में सहायता मिली है। यह पुस्तक केवल लोकहितार्थ लिखी गई है, किसी को दुःख देने के लिये नहीं। बहुतसे भाई केवल आपस की अदावत निकालने के लिये शारदा एक्ट का प्रयोग करते हैं, यह उचित नहीं है। हमें तो हमारे भाइयों के कल्याण की भावना से ही इसका उपयोग करना चाहिये। मुक़द्दमे चलाने से पहिले हमें भली प्रकार हमारे भाइयों को बालविवाह की हानियां समझाकर उनके हृदयों को जीतना चाहिये फिर भी न माने तो मुक़द्दमे चलाने चाहियें।

इस पुस्तक में, जल्दी में लिखी जाने के कारण, बहुत-

सी त्रुटियां रह गई हैं। आशा है कि समाज-सुधार के प्रेमी हमारी भूलों को क्षमा करेंगे और इस पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार कर बाल-विवाह-निषेधक आन्दोलन में हमारी सहायता करेंगे।

निवेदक—
वैदिकधर्म का सेवक
चांदकरण शारदा।

मिती चैत्र शुक्ला १
संवत् १९९५ वि०

CHILD MARRIAGE RESTRAINT ACT

अथवा

शारदा एक्ट का हिन्दी में अनुवाद

बालविवाह-निषेधक क़ानून

—:-o:-—

अंग्रेज़ी के Child Marriage Restraint Act No. 19 of 1929 जो श्रीमान् दीवानबहादुर हरविलासजी शारदा एम० एल० ए० ने बड़े लाट साहब की कौन्सिल में पास कराया और जिसको बड़े लाट साहब ने तारीख १ अक्टूबर सन् १९२९ को मंजूर किया तथा Child Marriage Restraint Amendment Act No. VII of 1938 बाल-विवाह निषेधक संशोधित क़ानून जो श्रीमान् लालचन्दजी नवलरायजी एम० एल० ए० ने बड़े लाट साहब की कौन्सिल में पास कराया और जिसको बड़े लाट साहब ने ता० १२ मार्च सन् १९३८ को स्वीकार किया तथा श्रीमान् बी० दास साहब एम० एल० ए० का Child Marriage Restraint Second Amendment Act No. 19 of 1938 (बाल-विवाह निषेधक द्वितीय संशोधित क़ानून नं० १९ सन् १९३८) जो उन्होंने बड़े लाट साहब की कौन्सिल में पास कराया और जिस पर बड़े लाट साहब ने तारीख ९ अप्रैल सन् १९३८ को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इन तीनों बाल-विवाहनिषेधक क़ानूनों का समावेश करके जैसा आज-कल का अन्तिम रूप बन गया है वह अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद करके नीचे दिया जाता है। अब इसी के अनुसार समस्त भारतवर्ष में बाल-विवाह रोकने के मुक़द्दमे होते हैं। पाठक इसी निम्नलिखित अनुवाद के अनुसार कार्य करें।

बालविवाह निषेधक क़ानून

एक्ट नं० १९ सन् १९२९

जिसको गवर्नर जनरल साहिब ने ता० १ अक्टू-
बर सन् १६२६ को मंजूर किया

६ अप्रैल सन् १६३८ तक के संशोधनों का
इसमें समावेश है

यह क़ानून बालविवाहों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये है

क्योंकि बालविवाहों का निषेध आवश्यक है
अतएव यह नीचे लिखे अनुसार
क़ानून बनाया जाता है:—

छोटा नाम हद और आरम्भ

१—(१) यह क़ानून सन् १९२९ का बाल-विवाह निषेधक क़ानून कहलाया जावेगा।

(२) यह समस्त ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश बिलोचिस्तान और सन्थाल परगना सहित लागू होगा और नीचे लिखे अनुसार भी लागू होगा[२]:—

(ए) भारत के किसी भाग की समस्त ब्रिटिश प्रजा और सरकारी नौकर।

(बी) समस्त ब्रिटिश प्रजा जो भारत के किसी भाग में बसी हो और चाहे जहां रहती हो।

(३) यह पहली अप्रैल सन् १९३० से जारी होगा।

परिभाषाः—

२—यदि विषय और प्रकरण के प्रतिकूल न हो तो इस क़ानून में

(ए) "बाल" का अर्थ वह व्यक्ति है जो यदि पुरुष हो तो १८ वर्ष से नीचे की आयु का है और यदि स्त्री हो तो १४ वर्ष से कम आयु की है।

फुटनोट १—१९३० के क़ानून नम्बर ८ जिसका कि नाम रीपीलिंग एन्ड एमेन्डिङ्ग क़ानून सन् १९३० है, उसकी धारा २ शिड्यूल १ के अनुसार १९२८ के स्थान में संख्या १९२९ की गई।

फुटनोट २—धारा १ की मद नं० २ के (ए) और (बी) वर्ग बाल-विवाह निषेधक संशोधित क़ानून नं० ७ सन् १९३८ की धारा २ के अनुसार बढ़ाये गये। इसको बड़े लाट साहब ने ता० १२ मार्च सन् १९३८ को मंजूर किया।

(बी) "बाल-विवाह" का अर्थ वह विवाह होगा जिसमें विवाह करने वाले वर अथवा वधू में से कोई "बाल" हो।

(सी) "विवाह करने वाले फ़रीक़ों" का मतलब यह है कि वर वधू में से कोई एक व्यक्ति जिसका विवाह किया जाने वाला हो[3] या किया गया हो।

(डी) "नाबालिग़" शब्द के अर्थ वह व्यक्ति स्त्री या पुरुष होगा जिसकी आयु १८ वर्ष से कम हो।

२१ वर्ष से कम उम्र वाले बालिग़ पुरुष को १४ वर्ष से कम आयु वाली लड़की से विवाह करने पर दंड

३—१८ वर्ष से ऊपर और २१ वर्ष से कम उम्र का कोई पुरुष अगर बाल-विवाह करे तो उसको एक हज़ार १०००) रुपये तक के जुर्माने की सज़ा हो सकेगी।

२१ वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष को बाल-विवाह करने पर दंड

४—अगर कोई २१ वर्ष से अधिक उम्र वाला पुरुष बालविवाह करेगा तो उसको १ महीने तक की सादी क़ैद या १०००) एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी जा सकेंगी।

फुट नोट ३—"विवाह किया जाने वाला हो" यह शब्द बाल-विवाह-निषेधक द्वितीय संशोधित क़ानून सन् १९३८ एक्ट नं० १९ सन् १९३८ की धारा २ के अनुसार जोड़े गये हैं, जिसको कि बड़े लाट साहब ने ९ अप्रैल सन् १९३८ ई० को स्वीकार किया।

बालविवाह करने पर दण्ड

५—अगर कोई व्यक्ति बालविवाह करावेगा या विवाह संस्कार रचावेगा या उसको करने की आज्ञा देगा तो उसको एक महीने तक की सादी क़ैद या एक हज़ार १०००) रुपये तक के जुर्माने की या दोनों सज़ायें दी जा सकेंगी । बशर्ते कि वह यह न साबित कर दे कि उसके पास इस बात पर विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बालविवाह नहीं है ।

बालविवाह से सम्बन्ध रखने वाले माता पिता या वली को दण्ड

६—(१) यदि कोई नाबालिग़ "बालविवाह" करेगा तो जिस व्यक्ति की देख रेख में वो नाबालिग़ रहता होगा, चाहे वो माता पिता हों, चाहे अभिभावक या और कोई व्यक्ति जो क़ानूनन या ग़ैर क़ानून तौर से उस नाबालिग़ की किसी दूसरी हैसियत से देख रेख रखता हो, तो उस व्यक्ति को जो विवाह की सहायता में कोई काम करे या उस विवाह के करने की आज्ञा दे या उसके रोकने में अपनी लापरवाही से कासिर रहे तो उसे एक महीने तक की सज़ा या १०००) रुपये तक का जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी जा सकेंगी। परन्तु शर्त यह है कि किसी औरत को कारावास की सज़ा न दी जावेगी ।

(२) इस धारा के सबूत के लिये यह बात पहिले से ही मानली जावेगी, बशर्ते कि इसके विरुद्ध प्रमाण न दिया जाय कि जब नाबालिग़ ने बालविवाह किया है तो उसकी देख रेख करने वाले व्यक्ति ने उस विवाह को रोकने की कोशिश नहीं की है ।

तीसरी दफे के अन्तर्गत कुसूर के लिये कारावास न दिया जावे

७—जनरल क्लाजेज़ एक्ट सन् १८६७ की दफ़ा २५ या ताज़ीरात हिंद की दफ़ा ६४ में चाहे जो लिखा हो—पर इस क़ानून की धारा ३ के अनुकूल जो अदालत अपराधी को जुर्माने की सजा देती है, उसको अख्तियार नहीं है कि वह यह आज्ञा दे कि यदि जुर्माना अदा नहीं होगा तो जुर्माना न दे सकने पर उसको किसी समय तक कारावास भुगतना पड़ेगा।

इस एक्ट के नीचे न्यायाधीश को जांच और विचार का अधिकार

८—ज़ाब्ते फौज़दारी सन् १८६८ की धारा १६० में चाहे जो लिखा हो—पर कोई भी अदालत जो प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल[४] का नहीं है उसको इस क़ानून के अनुसार किसी अपराध के मुक़द्दमे की जांच और विचार करने का अधिकार न होगा।

अपराधों की जांच और विचार का नियम

६—विवाह[५] होने की उस तारीख से जब कि कसूर होना बत-

फुटनोट ४—यह शब्द "मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल" के पहिले नहीं थे। पहले शब्द 'डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट' था। परन्तु बालविवाह निषेधक द्वितीय संशोधित क़ानून नं० १६ सन् १६३८ की धारा ४ के अनुसार शब्द 'डिस्ट्रिक्ट' को उड़ाकर शब्द "मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल" रख दिया गया।

फुटनोट ५—बालविवाह निषेधक द्वितीय संशोधित क़ानून नं० १६

लाया जाता है एक वर्ष बाद कोई भी अदालत इस क़ानून के अनुसार फरियाद नहीं सुनेगी।

इस क़ानून के अनुसार अपराधों की प्रारंभिक जांच

१०—वह अदालत जो इस क़ानून के अनुसार अपराध की जांच या विचार करने के लिये नालिश स्वीकार करे, बशर्तें कि वह ज़ाब्ता फौज़दारी सन् १८९८ की २०३ धारा के अनुसार नालिश खारिज न करदे या तो स्वयं ज़ाब्ता फौज़दारी की धारा २०२ के अनुसार जांच करेगी या अपने नीचे के किसी अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट को इसकी जांच के लिये आज्ञा देगी।

फरियादी से ज़मानत लेने का अधिकार

११—[६](१) इस क़ानून के अनुसार अपराध की जांच और विचार के लिये जब न्यायाधीश प्रार्थनापत्र स्वीकार करे, तो फरियादी के बयान लेने के बाद और अभियुक्त के नाम उसको हाज़िर होने के लिये समन जारी करने के पहिले चाहे किसी वक्त, यदि न्यायाधीश की इच्छा हो तो वह कारण लिखकर फरियादी से १००) एकसौ रुपये तक का मुचलका ज़मानत

की धारा ४ के अनुसार यह सारी धारा नं० ९ पुरानी धारा ९ को उड़ाकर नई रक्खी गई है।

फुटनोट ६—यह धारा बालविवाह निषेधक द्वितीय संशोधित क़ानून नं० १९ सन् १९३८ की धारा ५ के अनुसार पुरानी धारा ११ के स्थान में नई बनाई गई है।

सहित वा रहित लिखा लेगी ताकि ज़ाब्ता फौज़दारी सन् १८६८ की दफा २५० के अनुसार मुस्तग़ीस को हरजाने दिलाने का हुक्म हो तो उस ज़मानत मुचलके से वसूल कर लिया जाय और अगर अदालत की बताई हुई मुनासिब मुद्दत के अन्दर२ वह न दाखिल की जावेगी तो इस्तग़ासा खारिज कर दिया जावेगा।

एक्ट नं० ५ सन् १८६८

(२) इस धारा के अनुसार लिया हुवा मुचलका ज़ाब्ता फौज़दारी सन् १८६८ के अनुसार लिया हुवा मुचलका माना जावेगा और इस पर ज़ाब्ते फौज़दारी का ४२ वां अध्याय लागू होगा।

इस क़ानून के ख़िलाफ़ शादी करने वाले के ख़िलाफ़ शादी रोकने का हुक्मनामा इम्तनाई निकालने का अधिकार

१२—(१)[७] इस क़ानून में कोई भी बात होने के बावजूद, अदालत को इस्तग़ासे के ज़रिये या किसी दूसरी तरह से सूचना मिलने पर, यदि यह सन्तोष हो जावे कि इस क़ानून के विरुद्ध बालविवाह रचाया जाने वाला है, या रचने का प्रबंध हो गया है, तो अदालत ऐसे आदमियों में से किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जिनका कि इस क़ानून की ३, ४, ५ व ६ धारा में जिक्र आ गया है, शादी रोकने का हुक्मनामा इम्तनाई निकाल देगी।

फुटनोट ७—बालविवाह निषेधक द्वितीय संशोधित क़ानून नं० १६ सन् १९३८ की दफा ६ के अनुसार यह दफा १२ नई जोड़ी गई है।

(२) कोई भी हुक्मनामा इम्तनाई मद नं० १ के अनुसार किसी व्यक्ति के विरुद्ध न निकाला जावेगा जब तक कि अदालत ऐसे व्यक्ति को पहिले से नोटिस न दे दे और उसको इस बात का अवसर न दे दे कि वह आकर वजह ज़ाहिर करे कि उसके विरुद्ध हुक्मनामा इम्तनाई क्यों न निकाला जाय।

(३) अदालत या तो अपनी मर्ज़ी से या किसी दूसरे व्यक्ति की अर्ज़ी पर उस हुक्म को, जो कि उसने मद नं० १ के अनुसार निकाला है, मंसूख या तबदील कर सकती है।

(४) जब कि ऐसी अर्ज़ी अदालत के पास आवे तो अदालत का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्रार्थी को बहुत जल्दी अपने सामने या तो स्वयं या अपने वकील के मारफ़त उपस्थित होने का अवसर दे। और यदि अदालत पूरी अर्ज़ी को या उसके कुछ भाग को अस्वीकार करदे तो अदालत को अस्वीकार करने के कारण लिखने पड़ेंगे।

(५) जो कोई यह जानते हुए कि इस धारा की मद १ के अनुसार उस पर हुक्मनामा इम्तनाई निकल गया है और फिर भी वह उस हुक्मनामे की अवहेलना करता है तो उसको तीन महीने तक की सख्त या सादी कोई क़ैद या १०००) एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सज़ायें दी जा सकेंगी।

परन्तु शर्त यह है कि किसी स्त्री को क़ैद की सज़ा न दी जावेगी। /

शारदा एक्ट के प्रवर्तक—दीवानबहादुर हरविलासजी सारडा

॥ ओ३म् ॥

शारदा एक्ट

अथवा

बालविवाह निषेधक क़ानून

प्रथम अध्याय ।

बालविवाह निषेधक एक्ट नं० १९ सन् १९२९ तथा
बालविवाह निषेधक संशोधित एक्ट नं० ७
सन् १९३८ तथा द्वितीय बालविवाह
निषेधक संशोधित एक्ट नं० १९
सन् १९३८ से लाभ ।

बालविवाह रोकने से लाभ

भारत को गारत करने वाले बालविवाह की भयंकर कुप्रथा को बंद करने के लिये सन् १९२९ में दीवानबहादुर हरविलासजी शारदा ने बड़े लाट की कौन्सिल से बालविवाह निषेधक क़ानून नं० १९ सन् १९२९ में पास कराया ।

तत्पश्चात् बड़े लाट साहब की केन्द्रिय एसेम्बली में श्री लालचन्द नवलरायजी ने बालविवाह निषेधक संशोधित एक्ट नं० ७ सन् १६३८ पास कराया जो कि श्रीमान् गवर्नर जनरल साहब की मंजूरी से ता० १२ मार्च सन् १६३८ से समस्त भारत में जारी हो गया। और अभी हाल में ही श्रीमान् भुवनेश्वर-दास साहब का बालविवाह निषेधक संशोधित एक्ट नं० १६ सन् १६३८, जिसको कि बड़े लाट साहब ने ता० ६ अप्रेल सन् १६३८ को मंजूर किया, पास हुआ।

इन क़ानूनों के पास होने से बालविवाह निषेध आन्दोलन भारत में ज़ोर से चलने लगा है। अतः इस विषय पर जनता की जानकारी के लिए मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ।

बालविवाह से हानियां

बालविवाह की कुप्रथा भारत की जड़ को खोखली करने वाली है। इससे हिन्दू जाति की महान् शारीरिक अवनति हुई है। इसी कुप्रथा के शिकार बनकर लाखों नवयुवक और नव-युवतियां अल्पायु में ही काल के कराल गाल में फंस जाते हैं। लाखों बालक पैदा होने के कुछ दिन या महीने बाद ही मर जाते हैं। बेचारी छोटी २ लड़कियां अल्पायु में ही माताएं बन जाती हैं और सारी आयु दुःख का जीवन व्यतीत करती हैं। लाखों विधवाएं होकर सारी उम्र दुःख की धधकती आग में जलती रहती हैं।

बालविवाह की राक्षसी प्रथा के कारण अनेकों बहिनें बाल्यकाल में ही विधवाएं होकर जीवन पर्यन्त यातनाएं झेल रही हैं। इस कुप्रथा के कारण ही बाल्य-जीवन ही में इन्द्रिय-

लोलुप होकर समाज के अन्तःस्थल में छिपे २ व्यभिचार, आलस्य, निद्रा और क्षय रोग घर कर रहे हैं। धन के पति बूढ़े लोग रुपये पैसे के कारण व्याह कर लेते हैं और अनेकों युवक, जो विद्वान् और योग्य हैं, विना व्याहे ही रह जाते हैं। हमारी संतान अल्पायु, कमज़ोर, निरुत्साही, रोगी और कुरूप पैदा हो रही है। हमारी आयु घट रही है और मृत्युसंख्या बढ़ रही है।

बालविवाह रोकने के उपाय

उपरोक्त दुर्दशा में हिन्दू-समाज अन्दर ही अन्दर जल रहा था, परन्तु रूढ़ी का गुलाम होने के कारण सब दुःख को बर्दाश्त कर रहा था और विरोध करने का साहस नहीं करता था। अतः इन सब दुःखों को मिटाने के लिये महर्षि दयानन्द सरस्वती अखण्ड ब्रह्मचारी ने परोपकारार्थ करुण-हृदय होकर सबसे पहले बालविवाह के विरुद्ध आवाज़ उठाई।

उन्होंने बतलाया कि वैदिकधर्म की आधार-शिला ब्रह्मचर्य है। प्रत्येक हिन्दू (आर्य) गायत्री का जप करता है। गायत्री के जप में वह परमपिता परमात्मा से बुद्धि को तीव्र करने की प्रार्थना करता है, क्योंकि विना बुद्धि के यह संसार-यात्रा सफल नहीं हो सकती। बुद्धिमान राज करते हैं और मूर्ख गुलाम रहते हैं। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि विना ब्रह्मचर्य के बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम हमारा पहिला आश्रम माना गया है। बालविवाह करने से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता। इस बालविवाह ने लोगों में से मर्दानगी हटाकर उनको कायर और निर्बल बना दिया। अतः

प्रत्येक वैदिकधर्मी का परम कर्तव्य हो गया है कि भारत में बालविधवाओं की संख्या बढ़ाने वाले, अनेक संकटों को लाने वाले इस बालविवाह को रोका जाय। महर्षि दयानन्द की संस्थापित आर्यसमाज ने ब्रह्मचर्य का प्रचार कर बालविवाह को रोकने का भरसक प्रयत्न किया । व्याख्यानों में, भजनों में और कथाओं में बालविवाह की घोर निन्दा की गई।

सनातन धर्मियों से शास्त्रार्थ किए। फिर जब रूढ़ीवाद के दुर्ग में थोड़े से छेद हुए तो फिर इन्हीं आर्यसमाजियों ने दूसरे समाजसुधारकों की सहायता से अपनी २ बिरादरियों में जातीय सम्मेलन व कान्फ्रेंस करके बालविवाह को रोकने के अनेक प्रस्ताव पास कराये। ब्राह्मणसभा, वैश्यमहासभा, माहेश्वरी महासभा, अग्रवाल महासभा, ओसवाल महासभा, खण्डेलवाल महासभा आदि अनेक जातीय कान्फ्रेंसों ने बाल-विवाह निषेधक प्रस्ताव पास किये। परन्तु जब ५० वर्ष तक लगातार व्याख्यान, भजन और पुस्तकों द्वारा प्रचार करने पर भी और जातीय सम्मेलन व कान्फ्रेंस के प्रस्ताव पास करने पर भी हिन्दूजाति के रूढ़ीवादियों की आंखें नहीं खुलीं और यह अनिष्टकारी बालविवाह का अविद्यान्धकार न मिटा तो फिर क़ानूनी चाबुक लगाकर इनको जगाने का प्रयत्न प्रारम्भ हुआ। अतः महर्षि दयानन्द के भक्त महर्षि की उत्तराधिकारिणी श्रीमती परोपकारिणी सभा के मंत्री श्रीमान् दीवानबहादुर हरबिलासजी शारदा ने बड़े लाट की कौन्सिल में बालविवाह को रोकने का प्रस्ताव रक्खा। इसका भारत में प्रबल आन्दोलन हुआ। विरोधियों ने इस क़ानून को रोकने के लिए धर्म में हस्तक्षेप की आवाज़ बुलन्द की, शास्त्रों की दुहाई दी। लाखों

रुपये व्यय कर प्रबल विरोध किया। मुसलमानों से भी मिले और इस उपयोगी क़ानून को न बनने देने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, परन्तु परमपिता परमात्मा की अपार दया से अनेक विघ्न बाधाओं के होते हुए भी सन् १६२६ में यह बालविवाह निषेधक क़ानून (Child marriage Restraint Act 19 of 1929) पास हो गया। और सारे भारत में शारदा बिल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। परन्तु इस क़ानून के पास होते ही हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ। बल्कि कार्य सम्पादन करने के लिए और अपने २ उद्देश्य-पूर्ति के लिए नये सिरे से प्रयत्न करने का श्रीगणेश हुआ। इसको रद्द कराने के लिए गत ६ वर्ष से लगातार एसेम्बली में प्रयत्न होते रहे। पर सुधारकों के उत्साह और परमात्मा की कृपा से सब निष्फल गये। सरकार की भी इस मामले में बड़ी ही लापरवाही रही। इस वास्ते क़ानून पास होने पर भी जैसा बालविवाह रुकना चाहिये था नहीं रुका। बल्कि मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की।

बालविधवाएं

हम मनुष्यगणना की निम्नलिखित रिपोर्ट से प्रमाणित करते हैं कि बालविवाह कितना हानिकारक है। सन् १६३१ ई० की जनसंख्या की रिपोर्ट में निम्नलिखित संख्यायें १५ वर्ष से कम उम्र वाली विवाहिता बालिकाओं को आयु के हिसाब से इस प्रकार विभाजित करती हैं।

आयु विभाग	विवाहित प्रतिशत
० से १ वर्ष	०·८
१ से २ वर्ष	१·२

२ से ३ वर्ष	...	...	...	२·०
३ से ४ वर्ष	...	...	...	४.२
४ से ५ वर्ष	...	...	...	६.६
५ से १० वर्ष	...	...	...	१६·३
१० से १५ वर्ष	...	...	...	३८·१

इस प्रकार १ वर्ष से छोटी लड़कियों में से १ लड़की प्रति १०० लड़कियों में से ब्याह दी जाती है। और ठीक इसी प्रकार के दारुण दृश्य और दूसरे १५ वर्ष से नीचे के आयु विभागों में पाये जाते हैं। इसका एक परिणाम इस देश में बाल-विधवाओं की अविश्वसनीय संख्या का पाया जाना है, ये संख्याएं इस प्रकार हैं—

आयु विभाग			विधवाओं की ठीक संख्या
० से १ वर्ष	...	...	१,५१५
१ से २ वर्ष	...	...	१,७८५
२ से ३ वर्ष	...	...	३,४८५
३ से ४ वर्ष	...	...	६,०७६
४ से ५ वर्ष	...	...	१५,०१६
५ से १० वर्ष	...	...	१,०५,४८२
१० से १५ वर्ष	...	...	१,८५,३३६

समाजसुधारकों व सरकार का कर्तव्य

बालविवाह की बुराई संख्या के आधार पर प्रायः कम मानी जाती है और यह रिवाज भी सार्वलौकिक नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर बालविधवाओं की उपर्युक्त संख्या सच्ची संख्या का शतांश भी है, तो भी कोई मानव हितैषी सरकार इस दुःख के बीज मिटाये विना एक क्षण भी आराम

न लेगी। इसके सम्बन्ध में हमको यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि इनमें बहुत सी बालिकाओं के लिए पुनः विवाह करना सर्वथा असम्भव ही है।

प्रसूतकाल की मृत्युयें

बालविवाह का दूसरा परिणाम यह है कि बहुतसी अबोध मातायें प्रसूतकाल में ही मर जाती हैं। हिन्दुस्तान के लिए ऐसी मृत्यु की संख्या का औसत वर्ष में २ लाख पहुँचती है। इस हिसाब से प्रतिघंटा २० मौत का होना पाया जाता है और इनमें से अधिकांश उन बालिकाओं का नम्बर आता है जो अभी केवल बच्चियां ही हैं।

भारत के प्रसिद्ध मान्य डाक्टर सर जॉन मैगा के हिसाब से "प्रति हज़ार अबोध माताओं में १०० मातायें प्रसूतकाल में बच्चा उत्पन्न करने के पूर्व ही मृत्यु की गोद में सो जाती हैं" हमारे पास मातृमृत्यु के लिए कोई उचित संख्या नहीं है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि भारतवर्ष में इसका स्थान एक हज़ार में २४·५ है जबकि इङ्गलैण्ड में यह केवल ४·५ है।

बालविवाह से बाल-मृत्युयें

बाल-विवाह न केवल माताओं के लिए ही वरन् बच्चों के लिए और इसलिये जाति के लिये भी हानिकारक है। भारतवर्ष में पैदा हुए १००० बच्चों में से १८१ मर जाते हैं। यह तो औसत संख्या है, भारतवर्ष में ऐसे भी स्थान पाये जाते हैं जहां यह औसत संख्या प्रतिहज़ार पर ४०० तक पहुंच

जाती है। इस विषय में भारतवर्ष की अत्याधिक पिछड़ी हुई दशा इंगलैण्ड और जापान की संख्याओं, जो कि क्रमानुसार ६० और १२४ प्रति हज़ार है, से मिलान करने पर तत्काल ही विदित हो जाती है। यह कष्ट और भी दारुण होजाता है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि यह बुराई रोकी जा सकती है और एक शिक्षित आत्मविचार के अभाव से ही बालमृत्यु-संख्या बे रोक टोक बढ़ गई है।

सब से शोचनीय बात तो यह है कि इस विषय में अगर कुछ उन्नति हुई भी तो वह बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए सन् १९२१ में एक वर्ष से कम उम्र की ९,०६६ विवाहित बालिकायें थीं। तो सन् १९३१ में इनकी संख्या ४४०८२ पहुंच गई जो कि पूर्व की संख्या से लगभग ५ गुनी अधिक है जब कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि केवल १/१० तक ही परिमित रही। फिर सन् १९२१ में एक वर्ष से कम उम्र वाली विधवाओं की संख्या ७५९ ही थी तो यह सन् १९३१ ई० में १,५१५ तक पहुंच गई।

क्या प्राचीन धार्मिक ग्रन्थ बाल-विवाह करने की आज्ञा देते हैं ?

बहुत से लोगों का यह धार्मिक विश्वास है कि बालविवाह नहीं करने देने से उनको धार्मिक कृत्यों में सरकारी हस्तक्षेप होता है। इन भोले भाइयों के ऐसे विचार प्राचीन ग्रन्थों की और शास्त्रों की अनभिज्ञता के कारण व पोंगापंथी पंडितों के बहकाने से होगये हैं। हमारा खुला चैलेञ्ज है कि वेदों में, सूत्रग्रन्थों में, स्मृतियों आदि तथा सब प्राचीन धर्मशास्त्रों में

स्पष्ट प्रमाण है कि जब कुमारी पूर्ण युवावस्था को पहुंच जाये तब ही उसका विवाह करना चाहिए। प्राचीन काल में लड़कियों का उपनयन संस्कार होता था और वे गुरुकुलों में पढ़ती थीं और फिर समावर्तन संस्कार के बाद स्वयंवर विवाह करती थीं। बौधायन गृह्यसूत्र में चतुर्थी कर्म के प्रमाण मिलते हैं जिससे विवाह करके जाने के बाद ही चौथे दिन गर्भाधान संस्कार करने का विधान है। इससे गौना प्रथा बिल्कुल नवीन सिद्ध होती है और यह प्राचीन शास्त्रानुकूल नहीं है। बौद्धकाल में भी बड़ी आयु में विवाह होते थे, परन्तु जब से ब्राह्मणों ने स्त्रियों के लिए वेदों का पढ़ना पढ़ाना मना किया और स्त्रियों को शूद्रों के समान समझने लगे और मुसलमानी काल में स्त्रीहरण होने लगे तो लोगों ने आपद् धर्म समझ कर बालविवाह करने प्रारम्भ कर दिये, परन्तु अब तो स्त्रियों को महर्षि दयानन्द ने वेदों के पढ़ने का समान अधिकार दिला दिया है और भारतवर्ष में लाखों स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और भारत के स्त्री-आन्दोलन से भी स्त्री-जाति की सब पराधीनता मिटती जा रही है। अतः बालविवाह भारत में सभ्य समाज के सामने एक मिनट भी नहीं ठहर सकता। मिस्टर दास ने बालविवाह निषेधक संशोधित क़ानून पास कराकर बालविवाह को बंद कराने का भगीरथ प्रयत्न किया है। यद्यपि मिस्टर बाजोरिया आदि दकियानूसी विचार वालों ने कुछ मुसलमानों के साथ मिलकर मिस्टर दास के बिल को गिराने का और सनातनधर्म की रक्षा का भरसक यत्न किया, परन्तु जनता जनार्दन के वे स्वयम्भू ठेकेदार न बन सके और बहुत ही प्रबल बहुमत से दास-बिल पास हो गया और क़ानून बन गया।

शारदा एक्ट के मुक़द्दमों में विघ्नबाधाएं ।

जब से बालविवाह निषेधक शारदा बिल पास हुआ है तब से मैंने कई मुक़द्दमे बालविवाह करने वाले अपराधियों को सज़ा कराने के लिये लड़े हैं। उनमें जो २ विघ्न बाधाएं आती हैं वे पाठकों के लाभार्थ मैं नीचे प्रगट करता हूं। ऐसे मुक़द्दमे में सबसे पहला प्रश्न लड़के और लड़की की आयु का होता है। शादी में यह प्रामाणित करना चाहिए कि लड़की की उम्र १४ वर्ष से कम और लड़के की उम्र १८ वर्ष से कम है। गांवों में लड़के लड़कियों की पैदायश के समय लिखने का उचित प्रबन्ध नहीं। नगरों में भी म्यूनीसिपेलटियों में पैदाइश के रजिस्टर बहुत ग़लत होते हैं और उनमें बालक का नाम न होने के कारण इसी बालक की यह उम्र है इसका सबूत करना ज़रा कठिन हो जाता है। कई दफे एक ही माता पिता के एक से अधिक बालक १॥ या २ वर्ष के फ़ासले पर होते हैं और मर जाते हैं। तब यह साबित करना कठिन हो जाता है कि जो बालक उपस्थित है वही यह बालक है और जो मर गया वह नहीं है। बालविवाह करने वाले माता पिता अक्सर अदालत में आकर झूठ बोल जाते हैं कि हमारे लड़के की आयु १८ वर्ष से ऊपर है और लड़की की आयु १४ वर्ष से ऊपर है। झूठी जन्मपत्रियां पेश कर देते हैं। बालविवाह रोकने के मुक़द्दमों में अक्सर अपराधी, डाक्टरों के झूठे सार्टिफिकेट ले आते हैं जिसमें लिखा होता है कि लड़की १४ या १५ के बीच में है वा लड़का १८ या १६ के बीच में है, परन्तु इस प्रकार के सार्टिफिकेट देने वाले डाक्टरों से पूरी जिरह करनी चाहिए।

Medico Legal Court Companion जो Major H.W.

V. Con. I. P. O. I. M. D. ने लिखी है उसके पृष्ठ ४६४ पर स्पष्ट लिखा है "No Medical witness can testify to the precise age of a minor as it is always possible for medical testimoney to err within a year or two of the current age."

अर्थात् कोई डाक्टर भी नाबालिग़ की ठीक उम्र नहीं बता सकता, क्योंकि डाक्टर की राय में एक या दो साल की भूल रह जाना सदा सम्भव है। ३६ इण्डियन केस दफा ४०१ १६१६ प्रवीकौन्सिल सफा २४२ में डाक्टरों के सार्टिफिकेट के लिए निम्नलिखित वाक्य लिखे हैं—

Dr. Bright in Examination says that he formed the opinion that the appellant was 21 judging by his teeth, his appearance and his voice. In their Lordships' view such a certificate is worthless. It is in truth not a certificate but only an assertion of opinion."

अर्थात् इसी प्रकार के दांत, चहरे या आवाज़ को देख कर उम्र के सार्टिफिकेट किसी काम के नहीं। वे सिर्फ एक प्रकार की राय है।

A.I.R. 1924 Oudh page में प्रिवीकौन्सिल ने लिखा है:—

An age certificate given by a medical man to a private patient is not relevant, as a public record under section 35 of Evidence Act, but can be used

for the purpose of refreshing the medical man's memory under section 159 of Indian Evidence Act when such officer is examined as a witness.

अर्थात् डाक्टर या वैद्य का किसी व्यक्ति को प्रमाणपत्र देना दफ़ा ३५ क़ानून शहादत के माफ़िक प्रामाणिक नहीं है, लेकिन उसको वैद्य या डाक्टर या हकीम ज़ेर दफ़ा १५९ क़ानून शहादत के माफ़िक अपने कचहरी में गवाह की हैसियत में बयान होते समय अपनी याद्दास्त को ताज़ी रखने के लिए काम में ला सकता है।

A. I. R. 1928 Lahore सफ़ा २६० में लिखा है:—

Medical evidence in case of age of a party to suit which falls to be decided for purposes of limitations cannot throw much light because from its very nature it is based on conjectures only and it cannot possibly be looked upon for the purposes of determining with precision the exact age of a particular person. In case when limitation is pleaded the difference of even a single day settles the fate of the case one way or the other and no doctor, however conscientious and competent he may be, can give the precise age of a person so as to enable the court to determine the exact date of that person's birth.

"आल इण्डिया रिपोर्टर १९२८ लाहौर के पृष्ठ २५० में

लिखा है कि वैद्य, डाक्टर, हकीम की गवाही उम्र के मामले में, जिसमें कि मियाद का सवाल हो, कारगर नहीं हो सकती, क्योंकि यह अक्सर क़यास पर मुनस्सिर होती है। और वह कभी नहीं बतला सकते कि अमुक व्यक्ति की अमुक उम्र अमुक दिन होगी ही। विशेष तौर से जिन मुक़द्दमों में मियाद का मामला होता है तो एक दिन के फ़र्क में ही मुक़द्दमे की किस्मत इधर से उधर हो जाती है, क्योंकि कोई भी डाक्टर, चाहे कितना ही ईमानदार और योग्य क्यों न हो, ठीक नहीं बता सकता जिससे कि पैदायश की ठीक तारीख़ मालूम हो जावे" इस वास्ते बालविवाहों के मुक़द्दमों में जहां म्यूनीसिपल या पैदायश का सार्टिफ़िकेट नहीं मिलता है और उम्र में थोड़े ही दिनों का फ़र्क होता है, वहां कोरे डाक्टर के सार्टिफ़िकेट पर न्याय नहीं हो सकता। इस वास्ते सरकार को चाहिए कि पैदायश के रजिस्टर हर जगह रक्खे जाने पर पूरी सख़्ती करे।

बड़े ही आश्चर्य की बात मैंने अक्सर मुक़द्दमों में यह देखी कि जो लोग एक्ट पास होने के पहले धर्म की झूंठी दुहाई देते थे और बालविवाह निषेधक क़ानून को तोड़ने के लिए सत्याग्रह और जेल जाने की डींग हांका करते थे वे ही हमारे भाई जब एक्ट पास हो गया और काम में आने लगा तो अपने को जेल से बचाने के लिए सत्याग्रह के बदले अदालतों में जा जा कर दुराग्रह की शरण लेने लगे और झूंठी गवाहियां देने लगे। लोगों का नैतिक पतन इतना हो गया है कि झूंठ बोलने में कुछ बुराई समझते ही नहीं। उनके रिश्तेदार दोस्त इतना दबाव डालते हैं कि उनकी जाति बिरादरी बालविवाह

का पूरा पता नहीं देते। सच्ची गवाही देने को राजी नहीं होते। कई मुक़द्दमों में शादी होने की सच्ची बात होने पर भी गवाह न मिलने के कारण यह साबित नहीं हो सकता कि अमुक नाबालिग़ लड़की के साथ अमुक नाबालिग़ लड़के का विवाह हुआ है।

बालविवाह के अपराधियों को सजा कराने के उपाय।

इन सब बातों को रोकने का और बालविवाह के अपराधियों को सजा कराने का क्या उपाय किया जाय? हमें हर्ष है कि कई स्थानों पर बालविवाह निषेधक मंडल बने हैं। कई स्थानों पर Vigilence Society बनी हैं जो इस बात की देख रेख करती रहती हैं कि किस २ स्थान पर बालविवाह हुआ। उनके माता पिता, पुरोहित कौन २ हैं, कौन २ विवाह में सम्मिलित हुए। भारत की देवियों ने और महिला-परिषदों तथा अनेक स्त्री-संस्थाओं ने भी इस विषय में काफी प्रयत्न किया है। ऐसी कमेटी वालों को चाहिए कि बालविवाह की खबर पाते ही लड़के लड़की की स्कूल से उनके (Admission form) दाखिल होने के कागज़ की नकल और आयु का प्रमाण-पत्र ले लें। म्यूनीसिपल कमेटी के पैदायशी रजिस्टर से लड़के की पैदायश की तारीख और सन् की नक़ल ले लें। जब शीतला माता का टीका लगवाते हैं तब (Vaccination) टीका लगाने के रजिस्टर में आयु लिखी रहती है उसकी नकल ले लें। कई स्थानों में म्यूनीसिपैलटी में शादी करने के रजिस्टर भी रहते हैं। अतः शादी के रजिस्टर की नक़ल भी ले लें। अपने आदमी विवाह के अवसर पर भेजकर सब विवाह की बातों के गवाह

उपस्थित कर लें। बस उपरोक्त सब प्रमाण मिलने पर निश्चित रूप से बालविवाह करने वाले अपराधी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत या किसी भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत से सजा मिल जावेगी। हां बालविवाह के अपराधी के विरुद्ध अर्ज़ी देने वाले को १००) रुपये की ज़मानत या मुचलका लेना मजिस्ट्रेट साहब की मर्ज़ी पर है। इस वास्ते यह कोई बड़ी भारी अड़चन नहीं रही। फिर भी मुक़द्दमे में सब खर्चे के देने का सब प्रबन्ध इस बालविवाह निषेधक मंडल को करना चाहिए।

अपने २ नगर में समाजसुधार से प्रेम रखने वाले सज्जनों से इस कार्य के लिए आसानी से चन्दा एकत्रित किया जा सकता है। और कुछ समाजसुधारकों को जो धन से सहायता न दे सकें उनको तन से सहायता देने के लिए इस बालविवाह निषेधक मंडल के स्वयंसेवक बनना चाहिए। दौड़, भाग करने, जाने आने और गवाही इत्यादि के सब कामों के लिए स्वयं-सेवकों की अत्यन्त आवश्यकता है। यदि इस प्रकार बालविवाह निषेधक मंडल काम करने लगें तो बालविवाह का उन्मूलन हो सकता है।

बालविवाह करने वाले ब्रिटिश-भारतवालों का देशी राज्यों में जाकर विवाह करने से रोकने के उपाय

रूढ़ीवादियों ने जब यह देखा कि समाजसुधारक बालविवाह को इस प्रकार बालविवाह निषेधक-मंडल बनाकर उठा रहे हैं और अपराधियों को दंड दिलवा रहे हैं तो उन्होंने देशी राज्यों में जा जाकर बालविवाह करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वहां

जाकर विवाह करने से वे क़ानून के शिकंजे से बच जाते हैं।

अब प्रश्न यह है कि इसके निराकरण का क्या उपाय किया जाय, हमारा उत्तर है कि जिन २ देशी रजवाड़ों ने अपने यहां बालविवाह निषेधक क़ानून नहीं बनाया है उन २ स्थानों के राजा महाराजाओं से मिलकर ब्रिटिशभारत के समान ही वहां बालविवाह निषेधक क़ानून बनवाने चाहिएं, परन्तु कई देशी राजा बड़े विकट हैं वे किसी प्रकार का सुधार चाहते ही नहीं।

श्री लालचंद नवलराय एम. एल. ए. का बालविवाह निषेधक संशोधित क़ानून

अतः ब्रिटिश भारत के निवासियों को देशी रजवाड़ों में जाकर विवाह करने से रोकने के लिए श्री लालचंद नवलराय एम. एल. ए. का बालविवाह निषेधक एमेन्डमेन्ट एक्ट नं० ७ सन् १६३८ पास होगया और ता० १२ मार्च सन् १६३८ से यह समग्र भारत में जारी भी होगया। अब रियासतों में जाकर विवाह करने वालों को बालविवाह निषेधक क़ानून के अनुसार सजाएं भोगनी पड़ेंगी। इस क़ानून से वे अजमेर वाले जो किशनगढ़ के मदनगंज में जाकर विवाह कर लेते थे। और इसी प्रकार प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत की ब्रिटिश प्रजा जो अपने पड़ोसी प्रान्त के रजवाड़ों में जाकर विवाह कर लेते थे वह सब अब ऐसा नहीं कर सकेंगे और अगर करेंगे तो उनको भी बालविवाह निषेधक क़ानून के अनुसार सजाएं भोगनी पड़ेंगी।

मिस्टर बी. दास का बालविवाह निषेधक संशोधित क़ानून

सन् १९२९ के बालविवाह निषेधक क़ानून के अनुकूल विवाह होने के बाद ही सज़ा हो सकती थी। परन्तु यदि कोई माता-पिता या कुटुम्बी शारदा एक्ट को तोड़ कर विवाह करना चाहता तो विवाह नहीं रुक सकता था। ऐसे विवाहों से नाबालिग़ों को अनेक हानियां उनके माता-पिताओं की भूल के कारण उठानी पड़ती थीं। जैसे एज्यूकेशन कोड के अनुकूल विवाह होने के बाद मैट्रिक्यूलेशन की परीक्षा में नहीं बैठ सकता था और उसका सब भविष्य, विद्याध्ययन के रुक जाने से बिगड़ जाता था। लड़के-लड़कियों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता था। लड़की का जल्दी विवाह होने से वह जल्दी माता हो जाती थी और उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता और अक्सर उसके बच्चे भी जल्दी मर जाते थे। यदि पति मर जाता तो बालपन में विधवा हो जाती और जाति के रिवाज़ के अनुकूल सारी आयु वैधव्य के जीवन के दुःख भोगती। यह सब बातें लड़के और लड़की के जीवन को दुःखमय बनाने वाली थीं। अतः माता-पिताओं को या वलियों को जो ऐसे दुःखदाई कारण अपने लड़के-लड़कियों के लिये उपस्थित कर देते थे, विवाह के पहले ही अदालत से रोकना मुनासिब समझा गया और हुक्मनामा इम्तनाई निकलवा कर विवाह रोकने का मिस्टर बी० दास को बालविवाह निषेधक अमेण्डमेण्ट एक्ट पास कराना पड़ा।

सरकार ही नाबालिगों की क़ानून की दृष्टि से हित-चिन्तक है।

अब कोई भी आदमी मिस्टर बी. दास के शारदा एमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार किसी भी अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट को अर्ज़ी देकर हुक्मनामा इम्तनाई निकलवाकर बालविवाह को रुकवा सकता है। और यदि विवाह के रोकने का हुक्मनामा तामील होने पर भी कोई अदालत की आज्ञा के विरुद्ध विवाह कर लेगा या करा देगा तो आज्ञा तोड़ने के अपराध में उसे ३ महीने की कड़ी क़ैद और एक हज़ार रुपये जुर्माना भुगतना पड़ेगा।

बालविवाह रुकवाना बड़े पुण्य का कार्य्य है।

बालविवाह को रोकने के लिये प्रयत्न करने पर विरोधी दल गालियां देगा, पर नवयुवक और समाजसुधारकों को बदनामी से कदापि नहीं डरना चाहिये। इन गालियों और लांछनों को पुष्पवर्षा समझना चाहिये। हमें तो अपने हृदय में सोचना चाहिये कि वे मूक बालक और बालिका जिनके माता-पिता उनके भविष्य का अपने हाथ से नाश कर रहे हैं उनको किस प्रकार बचावें। बालविवाह के फल-स्वरूप विधवाएं बढ़ रही हैं जिनके करुण-क्रंदन से हृदय फटा जाता है। बालविवाह के होने से युवक-युवतियां शीघ्र क्षय रोग से पीड़ित हो जाती हैं। इससे कई जाति के होनहार बालक अकाल मृत्यु के कराल-काल में फंस जाते हैं और रोती हुई तरुण विधवाओं को छोड़ कर सारे परिवार को शोकाग्निमग्न कर जाते हैं। इस बालविवाह के कारण न केवल विधवाओं की संख्या बढ़ती है बल्कि व्यभिचार,

दुराचार फैलता है। कई रंडियां पहले बालविधवाएं थीं। इस बालविवाह के कारण भावी सन्तान निर्बल, पराक्रम-हीन, कायर और नपुंसक होती जा रही है। यदि हम चाहते हैं कि वास्तव में हमारी सन्तान राम-कृष्ण जैसी वीर, कुबेर जैसी धनसम्पन्न, भीम जैसी पराक्रमी और शिवाजी, राणा प्रताप व गुरु गोविन्दसिंह जैसी देशभक्त बने तो पहिले हमें बाल-विवाह रूपी क्षयरोग के कीड़े को समाज से नष्ट करना होगा।

बाल-हत्याऐं।

अविद्यान्धकार में ग्रसित समाज हमारा उपकार माने या न माने, हमें तो अपना कर्त्तव्य निभाना है। देखिये बालविवाह से कितना अनर्थ हो रहा है, Age of Consent Committee (सहवास-कमेटी) की रिपोर्ट जो १९२८—१९२९ में भारत सरकार की ओर से छपी है, उसके पृष्ठ ३०६ व ३०७ पर शादी की हुई विधवाओं की तालिका दी गई है। उपरोक्त तालिका से स्पष्टतया प्रमाणित होता है कि हिन्दुओं में ५ वर्ष की उम्र वाली १८३९५७ शादी की हुई नन्हीं बच्चियां हैं और इसी उम्र की बेचारी ११८९२ विधवाएं हो गई हैं। भला सोचिये इन ५ वर्ष से कम उम्र वाली ११८९२ दुधमुही बच्चियों को ज़बरदस्ती बालविवाह करके विधवा बना देना कितना अन्याय है। इसी रिपोर्ट में ५ से १० वर्ष की उम्र वाली हिन्दू विवाहिता लड़कियां १७ लाख १४ हज़ार ७३८ हैं और ८५ हज़ार ३७ विधवाएं हैं। १० से १५ वर्ष की उम्र वाली हिन्दू विवाहिता लड़कियां ६१ लाख ४७ हज़ार ९९८ और २ लाख ३२ हज़ार १४० बेचारी इस बालविवाह की कुप्रथा से विधवा हो गई हैं। इसी रिपोर्ट के पृष्ठ ३३५ पर १५ वर्ष से कम आयु में विवाह कर बच्चे जनने

वाली लड़कियों की तालिका दी गई है, जिसमें लिखा है कि—

The table shows that infant mortality increases with the number of married girls below 15.

अर्थात् ज्यों ज्यों १५ वर्ष से कम आयु वाली विवाहिता लड़कियों की संख्या बढ़ती है त्यों २ बालमृत्यु अधिकाधिक होती जाती है। हज़ारों लड़कियां बेचारी इस बालविवाह के कारण पहिले जापे में ही मर जाती हैं।

इस बालहत्या को रोकने का उपाय हम बतला चुके हैं। अतः नवयुवक और नवयुवतियों को कमर कस कर कार्य-क्षेत्र में उतरना चाहिये।

विघ्न बाधाओं, निन्दा स्तुति की परवाह न करते हुये अपने अपने ग्रामों और नगरों में बालविवाह निषेधक मंडल स्थापित करने चाहियें। बालविवाह की बुराइयां दर्शाने वाले व्याख्यान, लेख, भजन, मैजिक-लेन्टर्न द्वारा तस्वीरें दिखा २ कर लोगों को समझाना चाहिये। विवाहों के पूर्व ही विज्ञापन बांट देना चाहिये कि शारदा एक्ट के विरुद्ध बालविवाह करने वालों को सजायें होंगी। अदालत से हुक्मनामा इम्तनाई विवाह रोकने का निकलवाना चाहिये। फिर भी नहीं मानें तो उन पर मुक़द्दमे चला कर सज़ायें करानी चाहियें, ऐसा करने से भारत में ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी और इसी के प्रताप से बलिष्ठ सन्तानें होंगी, दुःख मिटेंगे और हमारी मातृभूमि को स्वतन्त्र कर हम सच्चा आनन्द भोगेंगे।

द्वितीय अध्याय

बाल-विवाह रोकने की आवश्यकता पर विद्वानों और विदुषियों के मत

संसार के प्रत्येक देश में, चाहे वह सभ्य हो या असभ्य, स्त्री-पुरुष अपनी सन्तानों से स्वभावतः प्रेम करते हैं। परन्तु दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में कई जातियां रीति-रस्मों में इस प्रकार फंसी हुई हैं, रूढ़ि की गुलाम इतनी हो रही हैं, कि बाल-विवाह निषेधक क़ानून होते हुए भी वे अपनी सन्तानों का बालविवाह कर देती हैं। इससे बालकों की मृत्यु-संख्या भारतवर्ष में सब से अधिक है। इन बाल-मृत्युओं के कारण माता-पिता और परिवार में अपार शोक छाया रहता है। माताओं का स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। जीवन भार-स्वरूप प्रतीत होने लगता है। देश को भी महान हानि उठानी पड़ती है। क्योंकि बच्चों के लालन-पालन में जो कष्ट उठाया जाता है और धन व्यय किया जाता है वह व्यर्थ ही जाता है। और बच्चों के बड़े होने पर जो देश को लाभ पहुंचता उससे भी देश वञ्चित रह जाता है। मुझे ऐसे उदाहरण ज्ञात हैं, जिसमें पुरुषों की पहली स्त्री बाल-विवाह के कारण प्रथम सन्तान-उत्पत्ति में ही मर गई। सैकड़ों बालविवाहित नववधुएं विधवा हो गईं। बच्चों के मरने का तो यह हाल है कि अधिकांश माता-पिता यही रोते हुए कहेंगे कि मेरे १० बालक पैदा हुए, उनमें से आज एक भी जीवित नहीं है। कुछ कहेंगे कि मेरे एक-दो लड़के और लड़की हैं, परन्तु बड़े दुर्बल हैं और सदा रोगी

रहते हैं। कुछ तो सन्तान के लिये ही तड़पते रहते हैं पर सन्तान नहीं होती और बच्चे गोद लेने पड़ते हैं। अतः मनुष्यता के नाते माता-पिता के नाम पर और देश के लाभ के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि बाल-विवाहों को रोक कर बालकों की मृत्युसंख्या को कम करने का प्रयत्न बड़ी तत्परता के साथ शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ किया जाय।

बाल-विवाह करने वालों का भयङ्कर विरोध देखकर समाज-सुधारक निराश होजाते हैं। परन्तु निराशा से हतोत्साह होकर बैठ जाना भयङ्कर भूल और कायरता है। लगातार प्रयत्न करने से संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसे हम प्राप्त न कर सकें। पहले योरुप में भी भारत के समान ही बाल-मृत्युओं की अति अधिक संख्या थी। परन्तु वहां वालों के लगातार प्रयत्न करने से वहां १४२ फी हज़ार मृत्युसंख्या से घट कर सिर्फ ६४ रह गई। भारत में भी समाज-सुधारकों के प्रयत्न से जो बाल-मृत्यु-संख्या सन् १९२१ ई० में १८२ फी हज़ार थी वह घट कर अब १७१ रह गई है। यदि हम सङ्गठित रूप से दृढ़ निश्चय के साथ काम करते जायंगे तो निश्चय ही योरुप के समान हमें भी मृत्युसंख्या घटाने में सफलता मिलेगी। भारत में समाजसुधारक उंगलियों पर गिनने लायक हैं। अभी समाज-सुधार के काम में पाव में पूनी भी नहीं कती है। विस्तृत कार्यक्षेत्र पड़ा हुआ है। काम ही काम बाक़ी है। यदि नवयुवक और नवयुवतियें इस बेकारी के युग में इधर उधर समय व्यर्थ के लिये नष्ट करने के स्थान में समाज-सुधार के कार्य में लग जावें तो भारत का बेड़ा पार हो जावे।

हम डंके की चोट कहते हैं कि बालविवाह करना कदापि धर्म का अङ्ग नहीं है और जो कट्टरपन्थी इसके रोकने के

क़ानून को धर्म में अनुचित हस्तक्षेप कहते हैं, वे स्वार्थवश ही ऐसा कहते हैं। हमें कट्टर-पन्थियों के धर्म-नाश के कोलाहल से कदापि न डरना चाहिये। Age of Consent Act (कन्सेन्ट एक्ट—सहवास क़ानून, गौड़ विवाह एक्ट, बालविवाह निषेधक एक्ट, सती न होने देने के क़ानून) आदि के ऊपर कट्टरपन्थियों ने धर्म में हस्तक्षेप की धूम मचाई थी. परन्तु बुद्धि और तर्क के सामने लोक-हित को दृष्टि में रखते हुए उनकी एक न सुनी गई।

क्या हम पशुओं से भी बुरे हैं ?

कितने दुःख की बात है कि अभी तक धर्म का नाम लेकर यह लोग अपने और अपने साथियों को अविद्या अन्धकार के गहरे कूप में इन बालविवाहों के कारण धकेले जा रहे हैं। देश में गौवों की रक्षा के लिये गोशालाएं खुली हैं, पशुओं की रक्षा के लिये पशुशालाएं खुली हैं, छोटी-छोटी कीड़ियों ईलियों की रक्षा के लिये हज़ारों रुपया व्यय किया जाता है, कोई नगर ऐसा नहीं जिसमें कबूतरों को दाना डालने के लिये हज़ारों मन अनाज न गिरता हो। जानवरों के प्रति निर्दयता का व्यवहार रोकने के लिये पशुओं पर बेरहमी रोकने की सभायें (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) बनी हुई हैं और (Prevention of Cruetly to Animals' Act) लाट साहब की कौंसिल से पास करवाया गया है और सैकड़ों गदहे, घोड़े वाले और नाना प्रकार के जानवर रखने वालों का बेरहमी में चालान इसी क़ानून के अनुसार नित्यप्रति होता है। और हर एक नगर में अपराधियों को सज़ा देने के लिये इसका पृथक् मजिस्ट्रेट रहता है। जङ्गली जानवर और पशुओं की रक्षा के

लिये भी क़ानून बने हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत से पहिले ही शिकारियों को हुक्म मिल जाता है कि अमुक मौसम में शिकार खेलने मत जावो, अमुक स्थानों पर शिकार मत खेलो, अमुक जानवरों को मत मारो। भारतवर्ष के दया-भाव की कुछ मत पूछिये, आनासागर, पुष्कर और जमुना, गङ्गा के किनारे पर और इसी प्रकार के अन्य तालावों और नदियों पर हज़ारों आदमी मछलियों और कछुओं को हज़ारों मन आटा और दाना खिलाते हैं। हज़ारों आदमी सायङ्काल और प्रातःकाल कीड़ीनगरा सींचते हैं। कुत्तों और चूहों को मरवाने पर म्यूनीसिपल कमेटी वालों से बड़ी २ लड़ाइयां होती हैं, अर्जियां दी जाती हैं, डेप्यूटेशन मिलने जाते हैं। मछली भी सर्वसाधारण स्थानों पर पकड़ी नहीं जाती। हरे वृक्ष की डाल तथा पीपल के पेड़ कटने पर हर मोहर्रम पर लड़ाइयां हो जाती हैं। गोहत्या के कारण तो ईद इत्यादि त्योहारों पर भारत में बलवे होते ही रहते हैं। और कई आदमी इसी युद्ध में प्रति वर्ष मारे जाते हैं। परन्तु दुःख है कि इतनी दयाभाव रखने वाली हिन्दू जाति बालविवाह रचकर बराबर बालहत्यायें निर्दयता से कर रही है और उसके रोकने का कोई उपाय नहीं करती।

बाल-हत्या रोकने की आवश्यकता

प्रत्येक एक हज़ार में से १७१ बालक मर जाते हैं। कितने दुःख की बात है कि हम देश के आधार स्तम्भ बालिकाओं की रक्षा के लिये उनके स्वास्थ्य बढ़ाने के लिये बालविवाह को रोकना, महज़ रूढ़ी के गुलाम होने के कारण अपना कर्त्तव्य कर्म नहीं समझते ? हज़ारों बालक तो बालविवाह के कारण

पेट में ही मर जाते हैं। १०० में से ५५ बालक पहिले वर्ष में ही मर जाते हैं, इस प्रकार १६ लाख ५० हज़ार ६ सौ ७३ बालक बालिकायें प्रतिवर्ष हमारी मातृभूमि में १ वर्ष की आयु के अन्दर २ मर जाते हैं। हम अपनी आंखों के तारों और प्राणों के प्यारे बालकों के मरने पर रोते हैं पर इनकी मृत्यु का कारण जो बालविवाह है उसके रोकने पर धर्म की दुहाई और स्वतन्त्रता की शेखी बघारते हैं। कितनी भयंकर मृत्यु-संख्या है और हमारी कितनी लापरवाही व कितनी निर्दयता है !! मैं तो मनुष्यता के सिद्धान्तों के नाते और देश के लाभ की दृष्टि से इस बालविवाह के रोकने के प्रश्न को स्वराज्य से भी अधिक महत्व-पूर्ण विषय समझता हूं और अक़सर बालविवाह करने वालों को शारदा क़ानून के अनुसार सज़ा कराना अपना धर्म समझता हूं। इन बालविवाहों से हमारी सन्तति कितनी निर्बल हो गई है इसकी दुःखपूर्ण कथा स्कूलों में विद्यार्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा के अंक कहते हैं। स्वास्थ्य-परीक्षा के रजिस्टरों को देखने से पता लगता है कि हमारे विद्यार्थियों की शारीरिक दशा भयंकर ह्रास को प्राप्त हो रही है। यह तो सभी मानते हैं कि स्वास्थ्य की नींव बचपन में ही दृढ़ हो सकती है। यदि बचपन में ही उनका विवाह कर उनके ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया तो भारतीय नवयुवक स्वतन्त्रता के युद्ध में क्या लड़ेंगे ?

हमारी कुरीतियों के कारण भारतवासियों की औसत आयु केवल २५ वर्ष की रह गई है और हम कीड़े और मकोड़ों के समान मर रहे हैं। इंगलेंड, जर्मनी, अमेरिका और नार्वे की औसत आयु ५५ वर्ष की है। क्या प्राचीन रूढ़ि वालों को समझाकर हम अपनी औसत आयु बढ़ाने का प्रयत्न नहीं कर

सकते। यह रूढ़ीवादी, बालविवाहों की कुरीतियों को मिटाने के स्थान में स्वास्थ्य लाभ के लिये दवाइयां खाते फिरते हैं, हकीम डाक्टरों के भटकते फिरते हैं। मातायें सन्तान उत्पत्ति के लिये साधुओं के पास जाती हैं और देवी देवता मनाती हैं तथा पीर पैग़म्बर पूजती हैं। फिर भी लड़का न होने पर निराश होकर रोती हैं और अपने भाग्य को कोसती हैं। पर बाल-विवाह, जो सन्तान उत्पन्न न होने की जड़ है उसको रोकने का प्रयत्न नहीं करतीं। हमारे शरीर कमज़ोर होने के कारण हमारी पैदा करने की शक्तियां कम हो गई हैं। जांच करने से पता लगा है कि उन्हीं प्रान्तों में बालकों की मृत्यु अधिक होती है जिन प्रान्तों में बालविवाह अधिक होते हैं। कम आयु की माताओं के गर्भ रह जाने से गर्भपात अधिक होते हैं। और मृत बालक भी अधिक पैदा होते हैं। इन बाल-विवाहों के कारण आलस्य क्षय रोग घर कर रहे हैं। हमारी सन्तान अल्पायु, निर्बल, निरुत्साही, रोगी और कुरूप पैदा हो रही है। सन् १९३३ ई० में भारतवर्ष में एक लाख ६६ हज़ार ८१ मृत बालक पैदा हुये। अर्थात् एक हज़ार बालकों में २० बालक माता के गर्भ में ही मरे हुये पैदा हुये। Sir John Megha ने हिसाब लगाया है कि प्रतिवर्ष २ लाख मातायें बालोत्पत्ति के कारण प्राण दे देती हैं। मातायें निर्बल होने के कारण गर्भ में और जन्म के पश्चात् बालक का भलीभांति पालन पोषण नहीं कर सकतीं। अधिक बालोत्पत्ति का परिणाम यह होता है कि बालकों की मृत्यु भी अधिक होती है। हमें हर्ष है कि स्त्रियों ने Anti-Child Marriage Committee अर्थात् बाल-विवाह निषेधक कमेटियां बनाई हैं, परन्तु बाल-विवाहों के रोकने के लिये बाल-विवाह करने वालों को सज़ा कराने के लिये शारदा

एक्ट के अनुसार बहुत ही कम मुक़द्दमे दायर किये गये हैं। जब इन मुक़द्दमों का विरोध करने को बड़े-बड़े वकील आते हैं, और धर्मधुरन्धर पंडित गवाही देते हैं, तो मुझे इनकी धर्मान्धता पर दुःख होता है। जब तक स्त्रियां स्वयं मुक़द्दमे चलाकर इस काम को अपने हाथ में न लेंगी तब तक सुधार होना अति कठिन है। जब स्त्रियों का समान नागरिक अधिकार है और जब हम पारिवारिक जीवनों को सुखमय बनाना चाहते हैं तो हमको सब दुःखों की जड़ बाल-विवाह को रोकना पड़ेगा। यदि हम अपने घरों को वैदिककाल के अनुसार आनंद-धाम बनाना चाहते हैं तो हमको पिंजरे में बन्द बीमार दुखी बाल-वधुओं को कारावास से मुक्त करना होगा। बिचारी, आदरहीन, अधिकार-शून्य सोने से सजी हुई गुड़ियां कैसे शक्तिशाली सन्तान उत्पन्न कर सकती हैं? सन् १९३१ में हमारे देश में इन बाल-विवाहों के कारण १० से १५ वर्ष तक की उम्र वाली १ लाख ८५ हज़ार ३ सौ ३९ हिन्दू विधवायें थीं। और ५ से १० वर्ष तक की १ लाख ५ हज़ार ४ सौ ८२, भला सोचिये कि ५ वर्ष से १५ वर्ष वाली लड़कियों का ज़बरदस्ती बाल-विवाह करके विधवा बना देना कितना अन्याय है?

अकेले बम्बई प्रान्त में ४, ५ वर्ष की उम्र की १२८३४ विवाहित लड़कियां हैं। Dr. Miss Baljar जो कि ३८ वर्ष से डाक्टरी का काम कर रही हैं वे अपनी गवाही में कहती हैं कि १६ वर्ष से कम उम्र की शादी वाली लड़कियों में मरे हुये बच्चे पैदा होना, समय से पूर्व बच्चे का पैदा होना और बच्चे का बहुत कम वज़न होना बहुत अधिक पाया जाता है। इसकी ताईद Dr. G. J. Campbell,

Principal, Women's Medical College करती हैं और कहती हैं कि इंगलैंड में ७ पौंड, पैदा होने वाले बच्चे का वज़न होता है। और भारत में बच्चों का बहुत कम वज़न बाल-विवाहिता माताओं के कारण होता है। इसी प्रकार Welfare Centre की दाइयों की और डाक्टरनियों की गवाहियों से स्पष्ट है कि बाल-विवाह से हमारा भयंकर ह्रास हो रहा है। Dr. Ranken, जो कि मिशनरी अस्पताल पूना की इन्चार्ज हैं, कहती हैं कि मेरे अस्पताल में १३ औरतें १४ वर्ष के क़रीब आयु वाली पहिले जापे के लिये दाखिल हुईं उनमें से ८ के बच्चे मर गये। Dr. Mrs. Vakil जो कि King Edward Memorial अस्पताल पूना की अध्यक्षा हैं वह भी १५ वर्ष से कम आयु वाली माताओं के बच्चों को कमज़ोर और कम वज़न वाले बताती हैं। गुजरात Ladies Club की मंत्राणी लेडी रमना बाई नीलकंठ, तथा मिस भागवत Principal, Women's College गुजरात और मंत्राणी गुजरात Women's Conference, Dr. M. K. Pandit अध्यक्ष मेटिरनिटी होम अहमदाबाद सब इसी बात को प्रमाणित करती हैं। Dr. Miss Hewnes सिंध वाली और Dr. Miss Bolten सिंध वाली तथा मद्रास की Mrs. Ane Sobharao, Mrs. Madheorao, Mrs. Malti Patwardhan, Mrs. Manjori Ram Aiyar, Lady Sadashiv Ayer, Sister Shubh Laxmi Ammal सबने Age of Consent Committee के सामने बाल-विवाह की कुरीती के कारण जो बाल माताओं को दुःख होते हैं वह बड़ी करुणाजनक भाषा में वर्णन किये हैं। आसाम की श्रीमती मंजूरीदत्त, Mrs. Shande, Mrs. M. K. Gupta, Mrs. Chandraprabha, Mrs. H. Bhagoor भी यही कथा कहती

हैं। बंगाल की Mrs. Rajkumardas, M. A., Principal Bethune College, Lady Pratima Mitra, Miss Jyotirmai Gangoli, M. A., Miss Lila Nag, M. A., Mrs. Latika Bose, B. A और श्रीमती मोहनीदेवी सबने बाल-विवाहों के कारण जो बालपन में सहवास के कारण बाल माताओं को दुख उठाने पड़ते हैं उन सबका निवारण का एकमात्र उपाय, बाल-विवाहों को रोककर लड़कियों के विवाह की आयु १६ वर्ष करने का बताया है। Dr. Douglas और Miss Adderlay, Dr. Earnest, आदि डाक्टरनियां तथा Sir Tej Bahadur Sapru आदि संयुक्तप्रान्त के नेता बाल-विवाह के भयंकर परिणामों को रोकने के लिये विवाह की आयु बढ़ाने का मत देते हैं। इसी प्रकार से मध्यप्रान्त और बरार के नेता मिस्टर आर. एम. देशमुख तथा मिसेज़ मुकादम Lady Superintendent डफरिन अस्पताल, मिस अन्सूयाबाई काले Mrs. E. G. Dick, Vice-President, Ladies Club, Nagpur, श्रीमती यशोदेवी जोशी अमरावती आदि की यही राय है कि लड़कियों के विवाह १८ वर्ष से पूर्व नहीं होने चाहियें। सरकार ने इन सब साक्षियों पर विचार करके और लोकमत को जानकर शारदा एक्ट पास किया। परन्तु हमें दुःख है कि अभी तक बाल-विवाह हमारे देश में धड़ाधड़ हो रहे हैं। इनके रोकने का उपाय यही है कि स्थान २ पर स्त्री और पुरुष मिलकर बाल-विवाह के विरुद्ध तीव्र आन्दोलन कर बालविवाह करने वालों के विरुद्ध अधिक-से-अधिक संख्या में मुक़द्दमे चलाकर उनको सज़ायें करावें। और सरकार की लापरवाही को और जनता के अविद्या अन्धकार को मिटाने का प्रयत्न करें। यह कार्य मातायें जो देश की भावी सन्तानों

की विधाता हैं यदि अपने हाथ में ले लें तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। यदि मातायें चाहती हैं कि वे केवल भोग विलास के साधन और सन्तानोत्पत्ति की मशीनें न रहें और वास्तव में सुधामयी, जीवनमयी, आनंदमयी गृहदेवियां और सद् धर्मिणियां लक्ष्मियां बनें तो उनका पहिला कर्त्तव्य है कि वे बाल-विवाह की कुरीति को जड़ से उखाड़ दें। परमात्मा करें कि स्त्रीजाति जागे और भारत का कल्याण हो।

तृतीय अध्याय ।

शारदा एक्ट का संक्षिप्त इतिहास और इसके विषय में एसेम्बली में वादविवाद

श्रीमान् रायसाहिब मुन्शी हरविलासजी शारदा, जो अजमेर मेरवाड़े की तरफ़ से बड़े लाट की क़ानून बनाने वाली कौन्सिल के मेम्बर थे, ने ता० १ फरवरी सन् १९२७ ई० को हिन्दुओं में बालविवाह रोकने के लिये एक बिल रक्खा। यह बिल ता० ५ फरवरी सन् १९२७ को गज़ट ऑफ़ इण्डिया में प्रकाशित हुआ। इस बिल को रखने के उन्होंने दो मुख्य उद्देश्य बतलाये (१) छोटी बालिकाओं का वैधव्य रोकना और (२) नवयुवक और नवयुवतियों की जो बालविवाह के कारण शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक गई है उसको हटाना तथा समय के पहिले बहुत बालमृत्यु होजाती हैं उनको रोकना।

उन्होंने बतलाया कि सन् १९२१ की मनुष्यगणना की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि निम्नलिखित संख्या हिन्दू विधवाओं की बाल-विवाह के कारण से हैं। एक वर्ष से कम उम्र वाली ६१२, पांच वर्ष से कम उम्र वाली २०२४, १० वर्ष से कम उम्र वाली ९७८५७ और १५ वर्ष से कम उम्रवाली ३३२०२४ हैं। और दुःख इस बात का है कि हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार इन बालविधवाओं का विधवाविवाह नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा हिन्दूशास्त्रों के अनुसार लड़के के विवाह करने

की कम-से-कम उम्र २४ वर्ष की है और लड़की के विवाह की आयु कम-से-कम १६ वर्ष की है।

इस बिल के लिये सार्वजनिक मत लिया गया और भारत में प्रबल आन्दोलन हुआ। आर्य्यसमाजियों और समाज-सुधारकों ने तो इसका प्रबल समर्थन किया। और सनातन-धर्मियों और उन्हीं से मिले हुए कुछ मुसलमानों ने और दिगम्बर जैनियों ने इसका विरोध किया और धर्म खतरे में है इसकी आवाज़ बुलंद की।

तत्पश्चात् यह सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया। जिसने ता० १२ मार्च सन् १९२८ को बहुतसे फेरफार करके इसको लेजिसलेटिव एसेम्बली के सामने प्रस्तुत किया। इसमें सर्वश्री मुहम्मदयाक़ूब, जे. केयर, हरबिलास शारदा, लाला लाजपतराय, रंगबिहारीलाल, एम. आर. जयकर, मिस्टर गिडनी, माननीय पं० मदनमोहन मालवीयजी, सर हरिसिंहजी गौड़, मिस्टर कासग्रेव, एस. श्रीनिवास आयंगर, के. सी. राय, जे. सी. चटर्जी, दीवान चिमनलाल, कुमार गंगानन्दसिंह सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे। इनमें से अधिकांश सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरों ने यह निश्चय किया कि जो कोई व्यक्ति १४ वर्ष से कम उम्र की लड़की अथवा १८ वर्ष से कम उम्र के लड़के का बालविवाह करे तो उसको एक महीने की क़ैद और एक हज़ार रुपये तक जुर्माना किया जावे और भी बहुत सी बालविवाह निषेधक बातें इसमें रक्खी गईं।

माननीय पण्डित मदनमोहनजी मालवीय १४ वर्ष की लड़की के विवाह की आयु रखने के हक़ में न थे, वल्कि

उन्होंने यह ज़ोर दिया था कि ११ वर्ष की लड़की की आयु विवाह की आयु रक्खी जाय। इसके विरुद्ध दीवान चिमनलालजी का यह कहना था कि लड़कियों के विवाह की आयु १६ वर्ष रक्खी जाय और शादियां रजिस्टर की जायं और बालविवाह करने वालों को सजाएं सख्त दी जायें। कुमार गंगानन्दसिंहजी का मत था कि लड़कियों के विवाह की आयु १२ वर्ष से अधिक न रक्खी जाय। इस सिलेक्ट कमेटी की राय के बाद यह बिल पुनः लोगों की राय के लिए भेजा गया। और ३१ मार्च सन् १९२८ के गवर्नमेण्ट गज़ट में छापा गया। इस बिल की नक़लें अंग्रेज़ी तथा तामील, तेलगू, केनरीज़, मरेठी, गुजराती, कनाड़ी, उर्दू, हिन्दी आदि भाषाओं में भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारों ने छापकर लोगों में वितीर्ण कीं व लोकमत संग्रह किया। और इस पर विचार करने के लिए दूसरी सिलेक्ट कमेटी बैठी और उस सिलेक्ट कमेटी ने १३ सितम्बर सन् १९२८ ई० को अपना मत लिखकर एसेम्बली के सामने वादविवाद के लिए रक्खा। दूसरी सिलेक्ट कमेटी में इस बिल के हक़ में सर्वश्री मिस्टर क्रेयर, हरविलासजी शारदा, लाला लाजपतरायजी, मिस्टर जयकर, सर हरीसिंह गौड़, एस. श्रीनिवास आयंगर, रंगविहारीलाल, जे. सी. चटर्जी, घनश्यामदास बिड़ला, यूसुफइमाम और मिस्टर शीलीडी थे। और इस बिल से भिन्न सम्मति रखने वाले मुहम्मदरफीक़ व मुहम्मदयाकूब साहिब थे, जिन्होंने यह मत प्रकट किया था कि यह क़ानून मुसलमानों के लिए लागू नहीं होना चाहिए। श्री ठाकुरदासजी भार्गव ने लिखा था कि ज़मानत लेने की बात से मैं सहमत नहीं हूँ और शादियों की रजिस्ट्री होनी चाहिए। श्रीमान् नीलकंठदासजी ने कहा था कि किसी-

किसी हालत में जब कि ग़रीब लोग दो-दो लड़कियों की एक साथ शादी करें या मां, बाप मरने वाले हों और वे मरने से पहले अपने बच्चे की शादी देखना चाहते हों उस हालत में बाल-विवाह की छूट डिस्ट्रिक्ट जज की इजाज़त से देदेना चाहिए। श्रीमान् गिडनी साहिब ने कहा था कि जिस हालत में बिल पास हो रहा है। इस बिल से कोई लाभ होने की सम्भावना नहीं है। माननीय पण्डित मदनमोहन मालवीयजी ने कहा था कि लड़की की शादी की उम्र १४ वर्ष के बजाय ११ वर्ष रखनी चाहिए और बालविवाह करने वालों को क़ैद की सज़ा नहीं देनी चाहिए। कुमार गंगानन्दसिंहजी ने भी यही कहा था कि लड़की की आयु १२ वर्ष रखनी चाहिए। जिस समय एसेम्बली में इस शारदा बिल पर वादविवाद हुआ तो एसेम्बली के बाहर बालविवाह निषेधक क़ानून के विरोध करने वाले मेम्बरों की बड़ी खिल्ली उड़ाई गई और जनता शारदा बिल के हक़ में अपना मत प्रकट करने के लिये पर्याप्त संख्या में एकत्रित होगई। एसेम्बली में शारदा बिल के विरोध में सबसे बड़ी वक्तृता मिस्टर एम. एस. शेष आयंगर ने दी और बार-बार एसेम्बली के प्रधान को कहना पड़ा कि आपकी लम्बी वक्तृता को जल्दी समाप्त करो। उसके बाद होम मेम्बर आनरेबिल सर ज़ेम्स क्रेयर ने इस बिल के समर्थन में बड़ी लम्बी वक्तृता दी और इसका बड़ी ही ओजस्वी भाषा में समर्थन किया। इसके पश्चात् रायसाहिब हरबिलासजी शारदा ने यह प्रस्ताव रक्खा कि सिलेक्ट कमेटी के द्वारा जो बालविवाह निषेधक बिल रक्खा गया है वह पास किया जाय। अपनी वक्तृता में उन्होंने ऋग्वेद और अथर्ववेद के प्रमाण देकर बतलाया कि वेदों में आज्ञा है कि कुमारियां युवा होने

पर अपने पति आप चुनें। और उसके बाद भिन्न-भिन्न प्रान्तों से आये हुए पत्रों को सुनाकर और डाक्टर बी. एस. मुञ्जे साहिब के सभापतित्व में हुई अखिल भारतवर्षीय हिन्दू महासभा का प्रस्ताव बताकर यह सिद्ध किया कि अधिकांश मत १४ वर्ष से कम आयु की लड़की का तथा १८ वर्ष से कम उम्र वाले लड़के का विवाह न करने के लिए ही आये हैं। उन्होंने बालविधवाओं का बड़ा ही करुण चित्र एसेम्बली के सामने खींचा और अपील की कि सब से बड़ी शक्ति जो इस बालविवाह निषेधक क़ानून को पुष्ट करने के लिए वाधित कर सकती है वह बालविधवाओं के आंसू हैं। उन्होंने माननीय पंडित मदनमोहन मालवीयजी की अनेक देश-सेवाओं की और अपूर्व वक्तृत्व शक्ति की प्रशंसा करते हुये उनसे इस विषय में भिन्न मति रखने पर शोक प्रकट किया।

मौलवी सैयद मुरतजा साहिब वहादुर जो मद्रास के मुसलमानों के प्रतिनिधि थे उन्होंने इस बिल को मुस्लिम शरियत के विरुद्ध बतलाया और यहां तक बिगड़े कि एसेम्बली का हाल तक छोड़ कर चल दिये। इसके बाद करतारसिंहजी ने सिक्खों की ओर से बिल का समर्थन किया और यह सिद्ध किया कि जो मुसलमान इस बिल का विरोध कर रहे हैं वह मुसलमानों के क़ानून को भली प्रकार नहीं बतला रहे हैं, क्योंकि नाबालिग़ी में किये हुए विवाह को मुसलमान बीबी अपने बालिग़ होने पर तोड़ सकती है। इससे सिद्ध होता है कि नाबालिग़ी में विवाह मुसलमान उचित नहीं समझते। और यह भी कहा कि जब सहवास के क़ानून के मुआफ़िक १४ वर्ष की लड़की के साथ सहवास करने वाला ताजीरात हिन्द के मुआफ़िक सज़ा पाता है और इस सहवास के क़ानून

को १६ वर्ष की आयु के लिए बढ़ा देने में कोई उज़र नहीं है तो फिर १४ वर्ष की लड़की के विवाह को रोकना बिलकुल ठीक है। मिस्टर गयाप्रसादसिंहजी मुज़फ्फरपुर बिहार वालों ने इस बिल का समर्थन किया और बतलाया कि सभी सभ्य देशों में बालविवाह निषेधक क़ानून है। देशी रियासतों में जैसे मैसूर, बड़ोदा, राजकोट, काश्मीर, गोंडल, इन्दोर, लिमड़ी, मंडी आदि अनेक रियासतों में बालविवाह निषेधक क़ानून बने हुए हैं। जो लोग बालविवाह को धर्म में हस्तक्षेप बतलाते हैं उनके लिये उन्होंने अथर्ववेद का यह प्रमाण दिया "ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विंदते पतिम्" अर्थात् जब कन्या ब्रह्मचर्य से जवान हो जावे उस वक्त उसका विवाह करना चाहिए। उन्होंने और भी कई शास्त्रों के प्रमाण दिये। इसके बाद एसेम्बली के कई सभासदों ने पक्ष विपक्ष में बड़े मार्मिक भाषण दिए। और उन सब का उत्तर इस बिल के प्रस्तावक श्रीमान् रायसाहिब हरबिलासजी शारदा ने दिया और सब पक्ष विपक्ष के एसेम्बली के मेम्बरों को धन्यवाद देते हुए विशेष रीति से श्रीमान् आनरेबुल शेरवानी साहब और श्रीमान् मियां शाहनवाज साहिब को धन्यवाद दिया जिन्होंने मुसलमान होते हुए इस बिल का खूब समर्थन किया। तत्पश्चात् सभापतिजी ने वोट लिये। शारदा एक्ट के समर्थन में ६७ वोट आये और विपक्ष में सिर्फ १४ वोट आये। फिर सभापतिजी ने बालविवाह निषेधक क़ानून का पास होना घोषित कर दिया। और १ अक्टूबर सन् १९२९ को बड़े लाट साहब ने इस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगादी और १ अप्रैल सन् १९३० से यह सारे ब्रिटिश भारत पर लागू हो गया और शारदा एक्ट की सब देश विदेशों में धूम मच गई।

चतुर्थ अध्याय

बालविवाह निषेधक क़ानून के संबंध में शंकायें तथा उनके उत्तर

(१) प्रश्न—क्या लड़की के १४ वर्ष लगते ही और लड़के के १८ वर्ष लगते ही विवाह करने वाले सज़ा पा सकते हैं ?

उत्तर—हां सज़ा पा सकते हैं, क्योंकि क़ानून यह है कि लड़के के पूरे १८ वर्ष खतम होने पर और लड़की के पूरे १४ वर्ष खतम होने पर विवाह होना चाहिये। यदि एक दिन की भी कम उम्र होगी तो सज़ा हो जावेगी।

(२) प्रश्न—यदि कोई आदमी द्वेषवश किसी पर बालविवाह निषेधक क़ानून के अनुसार झूठा मुक़द्दमा दायर कर दे तो झूठा इस्तग़ासा करने वाले पर क्या दण्ड होगा ?

उत्तर—जो कोई ऐसा करेगा तो ज़ेर दफ़ा २५० ज़ाप्ते फ़ौजदारी. झूठा इस्तग़ासा करने के अपराध में मुलज़िम को बरी करने के बाद मजिस्ट्रेट साहिब तहकीक़ात करके मुस्तग़ीस से हरजाना दिला सकते हैं।

(३) प्रश्न—बालविवाह होने के कितने अर्से बाद तक बाल-विवाह करने वालों को सज़ा कराई जा सकती है और सज़ा कराने के लिये अर्जी कौन किसकी अदालत में दे सकता है।

उत्तर—कोई भी आदमी, बालविवाह करने वाले के हल्के के किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत में, बालविवाह करने वालों के विरुद्ध एक वर्ष के अन्दर २ इस्तग़ासा पेश कर सकता है। कोई हिन्दू, मुसलमान, ईसाई किसी बाल-विवाह करने वाले के विरुद्ध बिना जाति के भेदभाव के इस्तग़ासा दायर कर सकता है।

(४) प्रश्न—इस प्रकार की अर्ज़ी देने में क्या ख़र्च होता है ?

उत्तर—१) का कोर्ट फ़ीस स्टाम्प लगा कर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्ज़ी दे दीजिये और गवाहों और मुलजिमों के लिये ।=) छः आने प्रति व्यक्ति के हिसाब से तलबाना दाख़िल कर दीजिये, बस यही इसका ख़र्चा है।

(५) प्रश्न—क्या पण्डित जो विवाह संस्कार कराता है या पादरी या काज़ी, मुल्लां, जो विवाह संस्कार कराते हैं, बालविवाह कराने पर सज़ा पा सकते हैं ?

उत्तर—हां ज़रूर पा सकते हैं।

(६) प्रश्न—क्या बराती, लड़के लड़की के वली या संबंधी या रिश्तेदार बालविवाह कराने पर सज़ा पा सकते हैं ?

उत्तर—हां, पा सकते हैं। यदि आप यह साबित कर दें कि उन्होंने बालविवाह कराने में सहायता प्रदान की।

(७) प्रश्न—क्या लड़का यदि मां-बाप से पृथक् किसी होस्टल में या बोर्डिंग हाउस में रहता हो और बिना माता पिता के पूंछे जाकर विवाह कर आवे तो माता-पिता को सज़ा हो सकती है ?

उत्तर—हां, सज़ा हो सकती है, क्योंकि माता पिताओं को अपने लड़के लड़की पर पूरी देख रेख रखनी चाहिये और क़ानून की निगाह में बच्चे को बालविवाह रूपी कुकर्म से न रोकने के अपराधी उसके माता पिता या वे वली होते हैं, जिनकी कि तहत में वह रहता है।

(८) प्रश्न—क्या स्कूल या कालेज का प्रिन्सिपल, हैडमास्टर या बोर्डिङ्ग हाउस का सुपरिन्टेन्डेन्ट या कालेज होस्टल का वार्डन भी शारदा क़ानून के अनुसार बालविवाह करने वाले अपने विद्यार्थी के कार्य का ज़िम्मेवार हो सकता है।

उत्तर—हाँ हो सकता है। यदि यह सिद्ध हो जावे कि उन्होंने बालविवाह कराने में सहायता प्रदान की

या लापरवाह रहे और जानते हुए भी उन्होंने बाल-विवाह को रोकने का ज़रा भी प्रयत्न नहीं किया?

(९) प्रश्न—बालविवाह करने का जुर्म क़ाबिल दस्तंदाज़ी पुलिस क्यों नहीं कर लिया जाता? पुलिस को ही चालान करने का क्यों नहीं अधिकार दिया जाता?

उत्तर—क़ाबिल दस्तंदाज़ी पुलिस करने से जनता को बहुत दुःख हो जाता। पुलिस के अत्याचारों से सर्वसाधारण वैसे ही दुखी है और इसको क़ाबिल दस्तंदाज़ी पुलिस बनाने से कई प्रकार की मुसीबतें उठानी पड़तीं और अत्याचार होने की पूर्ण आशंका बनी रहती। और कहीं-कहीं तो रिश्वत का बाज़ार गर्म होजाता।

(१०) प्रश्न—गांव में लड़के लड़की की ठीक उम्र मालूम करना बहुत कठिन है। वहां न तो पैदायश के रजिस्टर रहते हैं और न कोई डाक्टर ही ठीक या अन्दाजन उम्र बतलाने वाला रहता है। कैसे मुक़द्दमा चला कर सफल हों?

उत्तर—वास्तव में यह बात सत्य है और इसी वास्ते बालविवाह के मुक़द्दमे चलाने में बड़ी कठिनता होती है। सरकार को चाहिए कि मौत पैदाइश और शादी के रजिस्टर बाक़ायदा हर गांव में या हर तहसील और थाने में भली प्रकार रखने का प्रबन्ध करे, परन्तु जब तक ऐसा सुप्रबन्ध नहीं होता है तब तक गांव के लोगों की मौखिक

गवाही दिलाकर ही काम निकलवाना चाहिये। जो गांव के लोग यह कहने को तैयार हों कि वह लड़की या लड़का हमारे पड़ोस में रहता है। हम इसको जानते हैं और इसकी उम्र अन्दाज़न इतनी है। उन निष्पक्ष व्यक्तियों की गवाही माननी चाहिये। अदालत खुद बच्चे बच्ची को बुलाकर देख लेगी, क्योंकि १२ वर्ष की लड़की की तो शक्ल देखकर फौरन हरएक आदमी पहचान सकता है। हां १८ वर्ष के लड़के १४ वर्ष की लड़की के दो चार महीने उम्र इधर उधर होने पर जब इस्तग़ासा किया जाता है तब वास्तिक में ठीक आयु सिद्ध करने में मुसीबत उठानी पड़ती है।

(११) प्रश्न—जो लोग देशी रजवाड़ों में जाकर बालविवाह कर लेते हैं उनको सज़ा कैसे कराई जाय? ऐसे आदमियों को पुलिस द्वारा क्या विवाह के पहिले क़ैद करा सकते हैं?

उत्तर—बहुतसी देशी रियासतों में तो जैसे इन्दौर, राजकोट मंडी, बड़ोदा, अलवर, कोटा आदि में बालविवाह निषेधक क़ानून है। यदि उस क़ानून के अनुसार वे अपराध करते हैं तो उनको वहीं सजा दी जा सकती है, परन्तु यदि वह ऐसी रियासत में जाकर विवाह करते हैं जहां बालविवाह निषेधक क़ानून नहीं है या जिस रियासत का क़ानून ब्रिटिश भारत के

क़ानून से बहुत हल्का है। ऐसे लोगों को विवाह करके ब्रिटिश भारत में लौटकर आने पर बालविवाह निषेधक क़ानून की दफ़ा ४-५ और ६ के अनुसार सज़ा हो सकती है। पुलिस जबरन किसी के घर पर घेरा डालकर विवाह नहीं रोक सकती।

(१२) प्रश्न—ब्रिटिश भारत के लोग जो देशी रियासतों में जाकर बालविवाह कर लेते हैं उनको कैसे रोका जाय ?

उत्तर—ज्योंही विवाह की कुंकुंपत्री निकले या विवाह करने का इरादा व तैयारी ज्ञात होवे तो ज़ेर दफ़ा १२ बालविवाह निषेधक क़ानून, एक अर्ज़ी उस हल्के के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत में देदेना चाहिये, जहां पर कि बालविवाह करने वाला ब्रिटिश भारत निवासी रहता है। और फिर अदालत दोनों तरफ़ की बात सुन कर शादी रोकने का हुक्म देदेगी, और फिर भी शादी नहीं रोकेगा तो अदालत सज़ा देगी।

(१३) प्रश्न—बालविवाह रोकने के हुक्मनामे इम्तनाई निकलवाने की क्या तरकीब है ?

उत्तर—नवयुवकों को अपने मन में यह धारणा कर लेना चाहिए कि बालविवाहों को रोकना बड़ा ही पुण्य का कार्य्य है। इस वास्ते ज्योंही ज्ञात हो कि अमुक सज्जन अपनी १४ वर्ष से कम उम्र

की लड़की या १८ वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह। अमुक तिथि को करने वाला है तो शीघ्र ही विवाह की कुंकुंपत्री का प्रमाण या विवाह के लिये सामान कपड़ा आदि खरीदने का प्रमाण या कोई भी ऐसा प्रमाण, जैसे पीले चांवल बांटना, हलदांत विनायक बैठाना, गुड़ बांटना, बाजे बजवाना, बिंदोरी निकलवाना आदि जिससे यह सिद्ध होजावे कि अमुक व्यक्ति बाल-विवाह होने के कार्य में सहायता देरहा है, एक-त्रित करके १) का कोर्टफ़ीस का टिकिट लगाकर अपने हलफ़नामे के साथ अर्ज़ी देनी चाहिये कि अमुक २ सज्जन अमुक २ लड़के लड़की का बालविवाह, बालविवाह निषेधक क़ानून को तोड़कर, करने वाला है । अतः उसको विवाह करने से रोक देना चाहिए । फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहिब की अदालत शीघ्र ही अर्ज़ी सुनकर दूसरे फ़रीक़ को नोटिस देगी कि तुम आकर अमुक तारीख़ को वजह जाहिर करो कि तुम्हारे पर हुक्मनामा इम्तनाई क्यों न निकाला जावे । उसकी बात सुनकर यदि मजिस्ट्रेट साहिब दर्जा अव्वल को यह संतोष हो जावेगा कि अमुक व्यक्ति बालविवाह करने वाला है या ऐसे कार्य्यों में सहायता देता है तो मजिस्ट्रेट साहिब उस पर हुक्मनामा इम्तनाई इस अमर का निकाल देंगे कि क्योंकि तुम बालविवाह निषेधक क़ानून को तोड़कर बाल-

विवाह करने वाले हो इस वास्ते तुम अदालत के जरिये से मना किये जाते हो कि तुम बालविवाह मत करो। यदि इतना हुक्मनामा निकलने पर भी कोई अदालत के हुक्म की अवहेलना करके विवाह करा देगा तो फिर उसको ३ महीने तक की सख़्त या सादी क़ैद और एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।

(१४) प्रश्न—क्या बालविवाह करने वालों को यूनिवार्सिटी की परीक्षा में नहीं बैठने देते ?

उत्तर—हां! नहीं बैठने देते। हम शिक्षा विभाग को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बालविवाह को रोकने के लिये निम्नलिखित क़ानून अपने सन् १९३२ के Education Code (एज्यूकेशन कोड) में पास किया। संयुक्तप्रान्त के Educational Code के अध्याय चौथे की धारा ९६ के 'टी' क्लाज़ में निम्नलिखित नियम हैं।

(T) No male married students except those who are married before July 1, 1931, or who are at the time of marriage not less than 18 years of age, shall be admitted into or be allowed to continue in any recognised institution in any class upto and including class X.

कोई भी विवाहित लड़का सिवाय उनके जिनका कि विवाह एक जुलाई सन् १९३१ से पहिले हो चुका है या जो विवाह के समय १८ वर्ष से कम आयु के नहीं हैं किसी भी सरकार से मानी हुई स्कूल में न तो नई तौर से भरती किया जा सकता है और न किसी स्कूल में १० वीं क्लास तक किसी भी क्लास में विद्याध्ययन जारी रख सकता है।

इसी प्रकार का नियम राजपूताना बोर्ड तथा अन्य विश्वविद्यालयों में बनाया गया। जिससे बहुत कुछ स्कूल जाने वाले छात्रों के बालविवाहों में रुकावटें पैदा हुई।

(१५) प्रश्न—क्या पुलिस जबरन पहरा लगाकर शादी रोक सकती है?

उत्तर—इस क़ानून के अनुसार सिर्फ़ अदालत पुलिस के द्वारा शादी रोकने का हुक्म भेज सकती है, परंतु यदि कोई उस हुक्म को न माने और हुक्मनामा तोड़कर शादी करही ले तो उसको शादी करने के बाद तीन महीने तक की सादी या सख़्त कारावास का दंड या एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सज़ायें भोगनी पड़ेंगी।

(१६) प्रश्न—यदि कोई अदालत के हुक्म की अवहेलना करके विवाह करले या बालविवाह क़ानून तोड़कर विवाह करले तो वह विवाह नाजाइज़ हो सकता है।

उत्तर—विवाह नाजाइज़ नहीं हो सकता । सिर्फ़ बाल-विवाह करने वाले और उनके समर्थकों को सज़ा मिल सकती है ।

(१७) प्रश्न—क्या बालविवाह के लिये डिस्ट्रिक्ट जज्ज की अदालत से नाबालिग़ के वली खर्चा मंजूर करा सकते हैं ?

उत्तर—नहीं, देखो इंडियन ला रिपोर्ट ६३ कलकत्ता सफा ११५३ ।

(१८) प्रश्न—क्या देशी राज्य में जाकर विवाह करने वाले को इस क़ानून के अनुसार सज़ा हो सकती है ।

उत्तर—हां, हो सकती है । लालचंदजी नवलरायजी एम. एल. ए. ने यही संशोधित बालविवाह निषेधक क़ानून पास कराया है ।

(१९) प्रश्न—क्या किसी छोटे मोटे डाक्टर को १०) या ५) रुपये देकर बड़ी उम्र का सार्टिफिकेट लेने से बालविवाह करने वाला बच सकता है ।

उत्तर—नहीं । यदि सिविल सर्जन का सार्टिफिकेट छोटे डाक्टर की काट में मिल जावे तो सिविल सर्जन का प्रमाणपत्र माना जावेगा ।

(२०) प्रश्न—यदि केवल विवाह करले और गौना न हो तो क्या इस क़ानून के अनुसार सज़ा मिलेगी ?

उत्तर—हां ! अवश्य सज़ा होगी । देखो १५८ इंडियन केसेज़ सफा १००६ और ३६ क्रिमिनल ला जर्नल सफा १४८३ में यही बात हाईकोर्ट ने तय की है ।

(२१) प्रश्न—यदि कोई अपने लड़के की शादी १८ वर्ष के पूरे होने पर करे पर लड़की १४ वर्ष से कम हो तो क्या लड़के के बाप को भी सज़ा हो जायगी ।

उत्तर—हां सज़ा होजायेगी, क्योंकि वह जानता हुआ "बालविवाह" कराने में सहायक है ।

पंचम अध्याय।

बालविवाह के निषेध में शास्त्रीय प्रमाण।

महर्षि दयानन्द बाल-विवाह के प्रबल विरोधी थे उन्होंने स्वरचित सत्यार्थप्रकाश के चतुर्थ सम्मुल्लास में पृष्ठ ४८ पर विवाह के विषय में निम्न प्रकार लिखा है—

प्रश्न—विवाह का समय और प्रकार कौनसा अच्छा है ?

उत्तर—सोलहवें वर्ष से ले के चौबीसवें वर्ष तक कन्या और पच्चीसवें वर्ष से ले के अड़तालीसवें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। इसमें जो सोलह और पच्चीस में विवाह करे तो निकृष्ट, अठारह बीस की स्त्री, तीस पैंतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चौबीस वर्ष की स्त्री और अड़तालीस वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम है। जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्याग्रहण-रहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुःख में डूब जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहणपूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता है।

प्रश्न—

अष्टवर्षा भवेद् गौरी नववर्षा च रोहिणी ।
दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥१॥
माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च ।
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥२॥

ये श्लोक पाराशरी और शीघ्रबोध में लिखे हैं । अर्थ यह है कि कन्या की आठवें वर्ष विवाह में गौरी, नववें वर्ष रोहिणी, दशवें वर्ष कन्या और उसके आगे रजस्वला संज्ञा होती है ॥ १ ॥ जो दशवें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता पिता और बड़ा भाई ये तीनों देख के नरक में गिरते हैं ।

उत्तर—

ब्रह्मोवाच ।

एकक्षणा भवेद् गौरी द्विक्षणेयन्तु रोहिणी ।
त्रिक्षणा सा भवेत्कन्या ह्यत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥१॥
माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका ।
सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम् ॥२॥

यह सद्योनिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन है ।

अर्थ—जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं । जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी, दूसरे में रोहिणी, तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्वला हो जाती है ॥ १ ॥ उस रजस्वला को देख के उसके माता, पिता, भाई, मामा और बहिन सब नरक को जाते हैं ॥ २ ॥

प्रश्न—ये श्लोक प्रमाण नहीं।

उत्तर—क्यों प्रमाण नहीं ? क्या जो ब्रह्माजी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते ।

प्रश्न—वाह २ पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते ।

उत्तर—वाह जी वाह क्या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाथ से ब्रह्माजी बड़े नहीं हैं ? जो तुम ब्रह्माजी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते ।

प्रश्न—तुम्हारे श्लोक असम्भव होने से प्रमाण नहीं, क्योंकि सहस्र क्षण जन्म समय ही में बीत जाते हैं तो विवाह कैसे हो सकता है और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीखता ।

उत्तर—जो हमारे श्लोक असम्भव हैं तो तुम्हारे भी असम्भव हैं, क्योंकि आठ, नौ और दशवें वर्ष में भी विवाह करना निष्फल है, क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चात् चौबीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं * जैसे आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का

* उचित समय से न्यून आयुवाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान में मुनिवर धन्वन्तरिजी सुश्रुत में निषेध करते हैं—

ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ।
यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ १ ॥

होना असम्भव है वैसे ही गौरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है। यदि गोरी कन्या न हो किन्तु काली हो तो उसका नाम गौरी रखना व्यर्थ है। और गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वासुदेव की स्त्री थी उसको तुम पौराणिक लोग मातृसमान मानते हो। जब कन्या-मात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे विवाह करना कैसे सम्भव और धर्मयुक्त हो सकता है! इसलिये तुम्हारे और हमारे दो २ श्लोक मिथ्या ही हैं, क्योंकि जैसा हमने "ब्रह्मोवाच" करके श्लोक बना लिये हैं वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं। इसलिये इन सबका प्रमाण

जातो वा न चिरंजीवेज्जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ।
तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥

सुश्रुत शारीरस्थाने अ० १० । श्लोक ४७ । ४८ ॥

अर्थ—सोलह वर्ष से न्यून वयवाली स्त्री में पच्चीस वर्ष से न्यून आयुवाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्षिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता अर्थात् पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता।

अथवा उत्पन्न हो तो फिर चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुर्बलेन्द्रिय हो, इस कारण से अतिबाल्यावस्थावाली स्त्री में गर्भ स्थापन न करे ॥ २ ॥

ऐसे-ऐसे शास्त्रोक्त नियम और सृष्टिक्रम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध होता है कि १६ वर्ष से न्यून स्त्री और २५ वर्ष से न्यून आयुवाला पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता, इन नियमों से विपरीत जो करते हैं वे दुःखभागी होते हैं ॥ स० दा० ॥

छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो।
देखो मनु में—

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती ।
ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विंदेत सदृशं पतिम् ॥
मनु० [९ । ९०]

कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पति की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे। जब प्रति मास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षों में ३६ बार रजस्वला हुए पश्चात् विवाह करना योग्य है इससे पूर्व नहीं॥

काममामरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यर्तुमत्यपि ।
न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥
मनु० [९ । ८९]

चाहे लड़का लड़की मरणपर्यन्त कुमारे रहें परन्तु असदृश अर्थात् परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाववालों का विवाह कभी न होना चाहिये। इससे सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदृशों का विवाह होना योग्य है॥

प्रश्न—विवाह करना माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के आधीन रहे ?

उत्तर—लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के विना न होना चाहिये, क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत

कम होता और सन्तान उत्तम होते हैं। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है माता पिता का नहीं, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुःख होता और—

सन्तुष्टो भार्यया भर्त्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ।
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ मनु० [३।६०]

जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में आनन्द, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है और जहां विरोध, कलह होता है वहां दुःख, दरिद्रता और निन्दा निवास करती है। इसलिये जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त्त में परम्परा से चली आती है वही विवाह उत्तम है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये जबतक इनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता।

युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जायमानः। तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ १ ॥ ऋ० ॥ मं० ३ । सू० ८ । मं० ४ ॥

आधेनवो धुनयन्तामशिश्वीः शबर्दुघाः शशया अप्रदुग्धाः। नव्यानव्या युवतयो भवन्तीर्महद्देवानामसुरत्वमेकम् ॥ २ ॥ ऋ० ॥ मं० ३ । सू० ५५ । मं० १६ ॥

पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा दोषावस्तोरुषसो जरयन्तीः । मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्य नु पत्नीर्वृषणो जगम्युः ॥ ३ ॥ ऋ० ॥ मं० १ । सू० १७९ । मं० १ ॥

जो पुरुष (परिवीतः) सब ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त (सुवासाः) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचर्ययुक्त (युवा) पूर्ण जवान होके विद्याग्रहण कर गृहाश्रम में (आगात्) आता है (स, उ) वही दूसरे विद्याजन्म में (जायमानः) प्रसिद्ध होकर (श्रेयान्) अतिशय शोभायुक्त मङ्गलकारी (भवति) होता है (स्वाध्यः) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त (मनसा) विज्ञान से (देवयन्तः) विद्यावृद्धि की कामनायुक्त (धीरासः) धैर्ययुक्त (कवयः) विद्वान् लोग (तम्) उसी पुरुष को (उन्नयन्ति) उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं और जो ब्रह्मचर्यधारण विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किये विना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥

जो (अप्रदुग्धाः) किसी ने दुही नहीं उन (धेनवः) गौओं के समान (अशिश्वीः) बाल्यावस्था से रहित (शबर्दुघाः) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करने हारी (शशयाः) कुमारावस्था को उल्लंघन करने हारी (नव्यानव्याः) नवीन २ शिक्षा और अवस्था से पूर्ण (भवन्तीः) वर्तमान (युवतयः) पूर्ण युवावस्थास्थ स्त्रियां (देवानाम्) ब्रह्मचर्य सुनियमों से पूर्ण विद्वानों के (एकम्) अद्वितीय (महत्) बड़े (असुरत्वम्) प्रज्ञा शास्त्र शिक्षायुत प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों को

प्राप्त होके (आधुनयन्ताम्) गर्भ धारण करें। कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें क्योंकि यही कर्म इस लोक और परलोक के सुख का साधन है। बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश उससे अधिक स्त्री का नाश होता है ॥ २ ॥

जैसे (नु) शीघ्र (शश्रमाणाः) अत्यन्त श्रम करनेहारे (वृषणः) वीर्य सींचने में समर्थ पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष (पत्नीः) युवावस्थास्थ हृदयों को प्रिय स्त्रियों को (जगम्युः) प्राप्त होकर पूर्ण शतवर्ष वा उससे अधिक आयु को आनन्द से भोगते और पुत्र पौत्रादि से संयुक्त रहते हैं वैसे स्त्री पुरुष सदा वर्त्तें जैसे (पूर्वीः) पूर्व वर्त्तमान (शरदः) शरद् ऋतुओं और (जरयन्तीः) वृद्धावस्था को प्राप्त कराने वाली (उषसः) प्रातःकाल की वेलाओं को (दोषा) रात्री और (वस्तोः) दिन (तनूनाम्) शरीरों की (श्रियम्) शोभा को (जरिमा) अतिशय वृद्धपन बल और शोभा को दूर कर देता है वैसे (अहम्) मैं स्त्री वा पुरुष (उ) अच्छे प्रकार (अपि) निश्चय करके ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूं इससे विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक विवाह नहीं होता ॥ ३ ॥

जब तक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य लोग ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ ही के स्वयंवर विवाह करते थे तब तक इस देश की सदा उन्नति होती थी। जब से यह ब्रह्मचर्य से विद्या का न पढ़ना, बाल्यावस्था में पराधीन अर्थात् माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आर्यावर्त्त देश की हानि होती चली आई है। इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें।

महर्षि दयानन्द सरस्वती शास्त्रों के प्रमाण देकर सत्यार्थ-प्रकाश के तृतीय समुल्लास के पृष्ठ २५ पर उपदेश देते हैं:—

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विंᳫशतिवर्षाणि तत्प्रातःसवनं, चतुर्विᳫंशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं, तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदᳫं सर्वं वासयन्ति ॥ १ ॥

तञ्चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनᳫंसवनमनुसंतनुतेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ २ ॥

अथ यानि चतुश्चत्वारिᳫंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनᳫंसवनं चतुश्चत्वारिᳫंशदक्षरा त्रिष्टुप् त्रैष्टुभं माध्यंदिनᳫंसवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीदᳫं सर्वᳫं रोदयन्ति ॥ ३ ॥

तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यंदिनᳫंसवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानाᳫं रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४ ॥

अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत्तृतीयसवनमष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या न्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीदꣳ सर्वमाददते ॥ ५ ॥

तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात् प्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ६ ॥

यह छान्दोग्योपनिषद् [प्रपाठक ३ । खण्ड १६] का वचन है। ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उनमें से कनिष्ठ—जो पुरुष अन्नरसमय देह और पुरि अर्थात् देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ अर्थात् अतीव शुभगुणों से संगत और सत्कर्त्तव्य है इसको आवश्यक है कि २४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात् ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण बलवान् होकर सब शुभगुणों के वास करानेवाले होते हैं। इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रक्खे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान् होके शुभगुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे। हे मनुष्यो! तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो, जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूं २४ वर्ष के पश्चात् गृहाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरहित रहूंगा और आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष तक रहेगी। मध्यम ब्रह्मचर्य यह है—जो

मनुष्य ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्तःकरण और आत्मा बलयुक्त हो के सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करनेहारे होते हैं। जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद्ररूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मचारी लोगो ! तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञस्वरूप होता हूं और उसी आचार्यकुल से आता और रोगरहित होता हूं जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो। उत्तम ब्रह्मचर्य ४८ वर्ष पर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है, जैसे ४८ अक्षर की जगती वैसे जो ४८ वर्ष पर्यन्त यथावत् ब्रह्मचर्य करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। जो आचार्य और माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय में विद्या और गुणग्रहण के लिये तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे सन्तान आप ही आप अखण्डित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात् चारसौ वर्ष पर्यन्त आयु को बढ़ावें वैसे तुम भी बढ़ाओ। क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब इस प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं॥

चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं सम्पूर्णता किञ्चित्परिहाणिश्चेति। आषोडशाद्वृद्धिः। आपञ्चविंशतेर्यौवनम्। आचत्वारिंशतः सम्पूर्णता। ततः किञ्चित्परिहाणिश्चेति॥

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे।
समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात्कुशलो भिषक्॥

यह सुश्रुत के सूत्रस्थान ३५ अध्याय का वचन है । इस शरीर की चार अवस्था हैं एक (वृद्धि) जो १६ वें वर्ष से लेके २५ वें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की बढ़ती होती है । दूसरी (यौवन) जो २५ वें वर्ष के अन्त और २६ वें वर्ष के आदि में युवावस्था का आरम्भ होता है । तीसरा (सम्पूर्णता) जो पच्चीसवें वर्ष से लेके चालीसवें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की पुष्टि होती है । चौथी (किञ्चित्परिहाणि) जब सब साङ्गोपाङ्ग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं । तदनन्तर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता, किन्तु स्वप्न प्रस्वेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है, वही ४० वां वर्ष उत्तम समय विवाह का है अर्थात् उत्तमोत्तम तो अड़तालीसवें वर्ष में विवाह करना ।

प्रश्न—क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुल्य ही है ?

उत्तर—नहीं जो २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो १६ (सोलह) वर्ष पर्यन्त कन्या, जो पुरुष ३० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री १७ वर्ष, जो पुरुष ३६ वर्ष तक रहे तो स्त्री १८ वर्ष, जो पुरुष ४० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २० वर्ष, जो पुरुष ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २२ वर्ष, जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य सेवन रक्खे अर्थात् ४८ वें वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है और जो विवाह करना ही न चाहें व मरण पर्यन्त ब्रह्मचारी

रह सकते हों तो भले ही रहें परन्तु यह काम पूर्ण विद्यावाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थांभ के इन्द्रियों को अपने वश में रखना।

बाल-विवाह शास्त्रविरुद्ध है इसके अन्य प्रमाण—

तमस्मेरा युवतयो युवानं मर्मृज्यमानाः परियन्त्यापः। स शुक्रेभिः शिक्वभी रेवदस्मे दीदायानिध्मो घृतनिर्णिगप्सु ॥ ऋ० २। ३५। ४॥

(तम्) उस (युवानम्) युवावस्था सम्पन्न ब्रह्मचारी को (आपः) जल के सदृश (मर्मृज्यमानाः) अत्यन्त निर्मल सदाचारिणी (अस्मेराः) प्रसन्न वदन (युवतयः) कन्याएं (परियन्ति) प्राप्त होवें (स) वह (शुक्रेभिः) शुद्ध गुणयुक्त (शिक्भी) वीर्ययुक्त कर्मों से (रेवत्) ऐश्वर्यवान् होकर (अस्मे) हम लोगों के बीच में (दीदाय) प्रकाशित हो जैसे (अप्सु) जलों में (अनिध्मः) इन्धन रहित (घृतनिर्णिक्) जलों को शुद्ध करने वाला अग्नि प्रकाशित रहता है।

भावार्थ—ब्रह्मचर्य सम्पन्न युवावस्थास्थ लड़के लड़कियों का ही विवाह होना उचित है।

अपश्यं त्वा मनसा दीध्यानां स्वायां तनूं ऋत्व्ये नाधमानाम्। उपमामुच्चा युवतिर्बभूयाः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकामे ॥ ऋ० १७। १८३। २॥

हे वधू (मनसा) मन से (दीध्यानाम्) कामना करती हुई (स्वायां) अपने (तनूं) शरीर को (ऋत्व्ये) प्रजोत्पत्ति के

लिये (नाधमानां) देने की इच्छा वाली (त्वा) तुमको (अपश्यम्) मैं जानता हूं तुम (उच्चा) उच्च गुणसम्पन्न (युवतिः) युवावस्था प्राप्त हो (माम्) मेरे (उप बभूयाः) समीप आओ हे (पुत्रकामे) पुत्र की इच्छा वाली तुम (प्रजायस्व) पुत्र उत्पन्न करो ॥

भावार्थ—युवावस्थास्थ लड़का लड़की ही सन्तानोत्पत्ति करने के अधिकारी हैं ॥

इसी प्रकार अथर्ववेद में एक बहुत सुन्दर मन्त्र है जिसमें बताया गया है कि विवाह का अधिकार किस पुरुष को है—

यद् धावसि त्रियोजनं पंचयोजनमाश्विनम् । ततस्त्वं पुनरायासि पुत्राणां नो असः पिता ॥ अथर्व० ६ । १३१ । ३ ॥

हे पुरुष (यत्) यदि (त्वं) तू (त्रियोजनम्) तीन योजन पर्यन्त वा (पञ्चयोजनम्) पांच योजन पर्यन्त (आश्विनम्) अश्व के सदृश (धावसि) दौड़ जाता है (पुनः) फिर (ततः) वहां से (आयसि) लौट आता है तो (नः) हमारे (पुत्राणां) पुत्रों का (पिता) पिता (असः) हो ॥

भावार्थ—शारीरिक शक्ति-सम्पन्न युवा पुरुष ही विवाह के योग्य होता है ॥

इस प्रकार के अनेक मन्त्र वेद में आते हैं जिनसे स्पष्ट सिद्ध है कि युवा पुरुष तथा युवति कन्या का ही विवाह होना श्रेष्ठ है ॥

"संस्कारचन्द्रिका" में श्रीमान् आर्य्य-फिलासफर राजमित्र राज्यरत्न रायबहादुर पं० आत्मारामजी कुलपति आर्य्यकन्या महाविद्यालय बड़ौदा लिखते हैं—

जैसे बीज और क्षेत्र के उत्तम होने से अन्न आदि पदार्थ भी उत्तम होते हैं वैसे ही उत्तम संस्कृत बलवान् स्त्री पुरुषों से संतान भी उत्तम होते हैं। इससे पूर्ण युवावस्था पर्यन्त यथावत् ब्रह्मचर्य्य का पालन और विद्याभ्यास करके अर्थात् न्यून-से-न्यून १६ वर्ष की कन्या और २५ वर्ष का पुरुष ब्रह्मचर्य्ययुक्त अवश्य हो और इससे अधिक वय वाले होने से अधिक उत्तमता होती है क्योंकि विना १६ वें वर्ष के गर्भाशय में बालक के शरीर को यथावत् बढ़ने के लिए अवकाश और गर्भ के धारण पोषण का सामर्थ्य कभी नहीं होता, इसमें यह प्रमाण है।

परम वैद्य सुश्रुतकार लिखते हैं—

जितना सामर्थ्य पच्चीसवें वर्ष में पुरुष के शरीर में होता है उतना ही सामर्थ्य १६ सोलहवें वर्ष में कन्या के शरीर में हो जाता है। इसलिए वैद्य लोग पूर्वोक्त अवस्था में दोनों को समवीर्य अर्थात् तुल्य सामर्थ्य वाले जानें।

जो अपने कुल की उत्तमता उत्तम सन्तान दीर्घायु सुशील बुद्धिबल पराक्रमयुक्त विद्वान् और श्रीमान् करना चाहें वे १६ सोलहवें वर्ष से पूर्व कन्या और २५ वें वर्ष से पूर्व पुत्र का विवाह कभी न करें। यही सब सुधार का सुधार, सब सौभाग्यों का सौभाग्य और सब उन्नतियों की उन्नति करने वाला कर्म है। इस अवस्था में ब्रह्मचर्य रख के अपने सन्तानों को विद्या

और सुशिक्षा ग्रहण करावें कि जिससे उत्तम सन्तान होवें। शास्त्रों में स्पष्ट कहा है--

ब्रह्मचर्य्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्।

ब्रह्मचर्य से रहकर कन्या युवा पुरुष के साथ अपना विवाह करे।

बालविवाह पर मारवाड़ी भाषा में रसिया

टेर—देखो मात पिता की नेकी, करदियो बालपणां में ब्याव ॥

जन्म लियो माता हर्षाई, झांझ, नगारा, बजी सनाई।
पिता बहिन भाई प्रसन्न हो कीन्हो घणो उछाव ॥ १ ॥

पढ़वा ने पोसाल बिठायो, नाम तलक लिखबो नहिं आयो।
माता कहे पिता से थे तो सुणजो ध्यान लगाय ॥ २ ॥

प्रीतम अर्ज सुनो चित लाई, अब नान्या की करो सगाई।
साथणियां मारी नितका आकर ताना घणा सुणाय ॥ ३ ॥

अब नान्या की हुई सगाई, घोड्यां तो म्हे खूब गवाई।
ब्याव करण की चिन्ता लागी और कछू ना सुहाय ॥ ४ ॥

रसिया

सुणल्यो नान्या का काकाजी, ब्याहीजी ने करल्यो राजी ।
आखातीज को ब्याव मांड्यो सावो नहिं टलजाय ॥ ५ ॥

आखातीज को मांडो सावो, भाई बन्धु सभी बुलवावो ।
न्यात करो ऐसी बढ़िया के कोई नहीं बिसराय ॥ ६ ॥

मक्खबड़ा मूंग की बरफी, दाणा पेठा ठोर इमरती ।
च्यार साग पापड़ भुज्या और दाल सेंव बणवाय ॥ ७ ॥

लोभीराम ज्योतिषी आयो, टेवो मिला घणो हर्षायो ।
चूको मती गिरह है चोखा, फेर मिले ला नायं ॥ ८ ॥

बर्बादी की बजी सनाई, ब्याव हुयो पदमण घर आई ।
माता प्रेम दिखा बन्द कर दिया काल-कोटड़ी मायं ॥ ९ ॥

मैं बालक समझो छो नाई शक्ती की माचिस सिलगाई ।
उन्नति की आशा को मैंने पल में दिवी जलाय ॥ १० ॥

कमज़ोरी ने आन सताया, पढ़ना लिखना बन्द कराया ।
क्षय आदिक भारी रोगों ने लीना जोर जमाय ॥ ११ ॥

पिता डाक्टर ने बुलवाये, शाणा बुला भूत कढ़वाये ।
माता दौड़ी जाय पीर के पोतो नजर दिखाय ॥ १२ ॥

चढ़ते नाल हापणी आवे, अनपाणी बिलकुल नहिं भावे ।
पापिन धूप सही नहिं जावे सर्दी घणी सताय ॥ १३ ॥

बचपण गयो बुढ़ापो आयो, ज्वानी ने नहीं रंग दिखायो ।
खांसी चले अपार सांस अब छाती में नहीं मायं ॥ १४ ॥

जगन कहे सुणजो चितलाई, जो चाहो बच्चांरी भलाई ।
भूल कदी मत करजो लोगां टाबरपणे में ब्याव ॥ १५ ॥

देखो मात पिता की नेकी, करदियो बालपणां में ब्याव ॥

शारदा एक्ट के लेखक-देशभक्त कुँवर चांदकरण शारदा

परिशिष्ट

शारदा एक्ट के अन्तर्गत बाल-विवाह रोकने की अर्ज़ियों के नमूने

बअदालत जनाब मजिस्ट्रेट साहिब दर्जा अव्वल

पुलिस थाना ज़िला

नाम व पता प्रार्थी..............(अर्ज़ी देनेवाला)

बनाम

नाम व पता फ़रीक मुख़ालिफ़.......... (जिसके खिलाफ़ अर्ज़ी दी जाए)

अर्ज़ी ज़ेर दफ़े १२ बालविवाह निषेधक क़ानून एक्ट नं० १६ सन् १६२६ ईस्वी

ऊपर लिखा हुआ प्रार्थी निम्न प्रकार अर्ज़ करता है।

(१) यह कि मुसम्मी......वल्द......ने अपने नाबालिग़ लड़के या लड़की............उम्र............की शादी......के साथ कर रहा है। और सावे (शादी)............मिती बमुताबिक......तारीख़ के है।

(२) यह है कि फ़रीक़ मुखालिफ़ इस शादी को बालविवाह निषेधक क़ानून की दफ़ा ४, ५, ६ को तोड़कर कर रहा है। इस वास्ते दफ़ा १२ बालविवाह निषेधक क़ानून के अनुसार शादी रोकने का हुक्मनामा इम्तनाई जारी किया जावे।

ता०...............]   दस्तख़त प्रार्थी

इसी अर्ज़ी के साथ ऊपर लिखे मज़मून का एक हल्फ़नामा दिया जाय। इस प्रकार की अर्ज़ी को पढ़कर मजिस्ट्रेट साहिब फौरन प्रार्थी को अपने सामने बुलावें और फरीक मुखालिफ को पहिले नोटिस देंगे और फिर जब दोनों तरफ़ की गवाही व बहस अदालत सुनलेगी तब अदालत विवाह रोकने के हुक्मनामा इम्तनाई के बारे में उचित हुक्म देगी।

सेवा में

मान्यवर मजिस्ट्रेट साहिब प्रथम कक्षा

प्रार्थना-पत्र जेर दफ़ा ५ व ६ बाल-विवाह-निषेधक क़ानून नं० १६ सन् १६२६

नाम व पता ·· प्रार्थी

बनाम नाम अपराधी

मान्यवर महोदय !

ऊपर लिखे हुए मुक़द्दमे में यह प्रार्थना है कि श्रीमान् ················ ने अपनी नाबालिग़ पुत्री जिसकी आयु १४ वर्ष से न्यून थी, उसका विवाह बाल-विवाह निषेधक क़ानून के विरुद्ध ता० ···················· को स्थान ················ में ··· ········· के पुत्र ················ जिसकी कि उम्र १८ वर्ष से न्यून थी, कर दिया, और इस विवाह में पण्डित ········· ने विवाह-संस्कार कराया और सेठ ················ ने विवाह में सहायता दी। अतः अपराधियों को बाल-विवाह निषेधक क़ानून की पांच छः दफ़े के अनुसार दण्ड दिया जावे। साक्षी उपस्थित हैं।

ता० सन् } हस्ताक्षर

प्रार्थी

प्रार्थना-पत्र ज़ेर दफे ३ व ५ व ६ बाल-विवाह-निषेधक क़ानून नं० १६ सन् १६२६

मान्यवर महोदय !

ऊपर लिखे हुए मुक़द्दमे में यह प्रार्थना है कि श्रीमान् बाबू ·· ने जिनकी आयु १८ वर्ष से ऊपर है और २१ वर्ष से कम है, उन्होंने अपना विवाह बाबू ·· की पुत्री, जिसकी आयु १४ वर्ष से न्यून है, उससे विवाह ता० ················ सन् ·········· को ························ स्थान में कर लिया। अतः अपराधियों को बाल-विवाह निषेधक क़ानून के अनुसार सजा दी जावे। लड़की के पिता को जेर दफ़े ६ और पण्डित को जेर दफ़े ५ विवाह-संस्कार कराने तथा बाल-विवाह में सहायता देने के अपराध में दण्ड दिया जावे।

ता० ············· सन् हस्ताक्षर प्रार्थी—

ब-अदालत मजिस्ट्रेट साहब दर्जा अव्वल

दरख़्वास्त जेर दफ़े ४ व ५ व ६ बाल-विवाह-निषेधक क़ानून नं० १६ सन् १६२६

मान्यवर महोदय !

ऊपर लिखे हुए मुक़द्दमे में ठा०......................ने जिनकी आयु २१ वर्ष से ऊपर है, जो अपना विवाह ठा०............की पुत्री, जिसकी आयु १४ वर्ष से कम है, से ता०............सन्......को ....स्थान में कर लिया है, अतः ठा० साहब को जेर दफा ४ व लड़की के पिता को ज़ेर दफा ६ व पण्डित....................को ज़ेर दफा ५ विवाह संस्कार कराने तथा बाल-विवाह में सहायता देने के अपराध में दण्ड दिया जावे।

ता०............सन्...... हस्ताक्षर प्रार्थी—

ब-अदालत मजिस्ट्रेट साहब दर्जा अव्वल

दरख़्वास्त जेर दफे १२ व ५ व ६ बाल-विवाह-निषेधक क़ानून नं० १६ सन् १६२६ ई०

मान्यवर महोदय !

ऊपर लिखे हुए मुक़द्दमे में यह प्रार्थना है कि श्रीमान् लाला.......... ने अपने नाबालिग़ पुत्र जिसकी आयु १८ वर्ष से न्यून थी, उसका विवाह लाला............की पुत्री जिसकी आयु १४ वर्ष से कम थी, रियासत किशनगढ़ में जाकर ता०.........सन्......को स्थान.......... में करदी। विवाह के पहले अदालत में लाला साहब के विरुद्ध ता०...... को हुक्मनामा निकाल कर विवाह को रोक दिया था। लेकिन लाला साहब ने अदालत के हुक्मनामे को न मानकर विवाह कर दिया। इसलिये लालाजी को हुक्म न मानने के अपराध में जेर दफे १२ बाल-विवाह-निषेधक क़ानून के अनुसार सज़ा दी जावे और विवाह करने के अपराध में जेर दफा ६ की सज़ा दी जावे और विवाह-संस्कार करने वाले पुरोहितों और सहायकों को जेर दफा ५ सज़ा दीजाये।

ता०.........सन्...... हस्ताक्षर प्रार्थी—

APPENDIX I.

Act No. XIX of 1929.

(PASSED BY THE INDIAN LEGISLATURE.)

(Received the assent of the Governor General on the 1st October, 1929.)

(As modified upto 9th April 1938.)

(An Act to restrain the solemnisation of Child Marriages).

Whereas it is expedient to restrain the solemnisation of child marriages, it is hereby enacted as follows:—

Short title extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Child Marriage Restraint Act [1][1929].

(2) It extends to the whole of British India, including British Baluchistan and the Sonthal Parganas and applies also to

[2](a) All British subjects and servants of the crown in any part of India;

Foot Note.—[1]These figures were substituted for "1928" by Section 2 and 1 of the Repealing and Amending Act, 1930 (8 of 1930).

[2]To sub-section 2 of Section 1 the clauses (a) & (b) were added by 'Child Marriage' Restraint Amendment Act No. VII of 1938 which received the Governor General's assent on 12th March 1938.

(*b*) All British subjects who are domiciled in any part of India wherever they may be.

(3) It shall come into force on the 1st day of April 1930.

Definations.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context.

(*a*) "Child" means a person who, if a male, is under eighteen years of age, and if a female, is under fourteen years of age;

(*b*) "Child marriage" means a marriage to which either of the contracting parties is a child;

(*c*) "Contracting party" to a marriage means either of the parties whose marriage, is [3] or is about to be thereby solemnised; and

(*d*) "Minor" means a person of either sex who is under eighteen years of age.

Punishment for male adult below twenty-one years of age marrying a child.

3. Whoever, being a male above eighteen years of age and below twenty-one, contracts a child marriage shall be punishable with fine

---

Foot Note.—[3]The words 'or is about to be' were added by Section 2 of the Child Marriage Restraint Second Amendment Act No. 19 of 1938, which received the assent of the Governor General on 9th April 1938.

which may extend to one thousand rupees.

Punishment for male adult above twenty-one years of age marrying a child.

4. Whoever, being a male above twenty-one years of age contracts a child marriage shall be punishable with simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Punishment for solemnising a child marriage.

5. Whoever performs, conducts or directs any child marriage shall be punishable with simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both, unless he proves that he had reason to believe that marriage was not a child marriage.

Punishment for parent or guardian concerned in a child marriage.

6. (1) Where a minor contracts a child marriage, any person having charge of the minor, whether as parent or guardian or in any other capacity, lawful or unlawful, who does any act to promote the marriage or permits it to be solemnised, shall be punishable with simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Provided that no woman shall be punished with imprisonment.

(2) For the purposes of this section, it shall be presumed unless and until the contrary is proved, that where a minor has contracted a child marriage, the person having charge of such minor has negligently failed to prevent the marriage from being solemnised.

Imprisonment not to be awarded for offences under Section 3.

X of 1899.
XLV of 1860.

7. Notwithstanding anything contained in Section 25 of the General Clauses Act, 1897, or Section 64 of the Indian Penal Code, a court sentencing an offender under Section 3 shall not be competent to direct that, in default of payment of the fine imposed, he shall undergo any term of imprisonment.

Jurisdiction under this Act.

8. Notwithstanding anything contained in Section 190 of the Code of Criminal Procedure, 1898, no Court other than that of a Presidency Magistrate or a Magistrate of the 1st Class[4] shall take cognizance of, or try, any offence under this Act.

Foot Note.—[4]The words "Magistrate of the First Class" were substituted for the words 'District Magistrate' by Section 3 of the Child Marriage Restraint Second Amendment Act No. 19 of 1938, which received the assent of the Governor General on 9th April 1938.

9. [5]No court shall take cognizance of any offence under this Act after the expiry of one year from the date on which the offence is alleged to have been committed.

Substitution of new Section for Section 9 Act XIX of 1929.

10. The court taking cognizance of an offence under this Act shall, unless it dismisses the complaint under Section 203 of the Code of Criminal Procedure, 1898, either itself make an inquiry under Section 202 of that Code, or direct a Magistrate of the first class subordinate to it to make such inquiry.

Preliminary inquiries into offences under this Act.

V of 1898.

11. [6](1) When the court takes cognizance of any offence under this Act upon a complaint made to it, it may for reasons to be recorded in writing, at any time after examining the complainant and before issuing process for compelling the attendance of the accused, require the complainant to execute a bond with or without sureties, for a sum not exceeding

Power to take security from complainant.

Foot Note.—[5]This Section was substituted by Section 4 of the Child Marriage Restraint Second Amendment Act No. 19 of 1938, which received the Governor General's assent on 9th April 1938.

[6]This Section was substituted by Section 5 of the Child Marriage Restraint Second Amendment Act No. 19 of 1938 which received the Governor General's assent on 9th April 1938.

one hundred rupees, as security for the payment of any compensation which the complainant may be directed to pay under Section 250 of the Code of Criminal Procedure 1898, and if such security is not furnished within such reasonable time as the court may fix, the complaint shall be dismissed.

V of 1898.

(2) A bond taken under this Section shall be deemed to be a bond taken under the Code of Criminal Procedure, 1898 and Chapter XLII of the Code shall apply accordingly.

V of 1898.

Power to issue injunction prohibiting marriage in contravention of this Act.

12. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the court may, if satisfied from information laid before it through a complaint or otherwise that a child marriage contravention of this Act has been arranged or is about to be solemnised, issue an injunction against any of the persons mentioned in Sections 3, 4, 5 and 6 of this Act prohibiting such marriage.

(2) No injunction under sub-section (1) shall be issued against any person unless the court has previously given notice to such person, and has afforded him an opportunity to show cause against the issue of the injunction.

(3) The court may either on its own motion or on the application of any person aggrieved rescind or alter any order made under sub-section (1).

(4) Where such an application is received, the court shall afford the applicant an early opportunity of appearing before it either in person or by pleader; and if the court rejects the application wholly or in part, it shall record in writing its reasons for so doing.

(5) Whoever knowing that an injunction has been issued against him under sub-section (1) of this Section disobeys such injunction shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Provided that no woman shall be punished with imprisonment.

Foot Note 7.—This Section has been added by Section 6 of the Child Marriage Restraint Second Amendment Act No. XIX of 1938 which received the assent of the Governor General in Council on 9th April 1938.

APPENDIX II.

Rulings on Sarda Act.

---

1. Munshiram Vs. Emperor 158 I. C. 1,006 & 1007-36 Cr. L. J. 1483-1935 A. L. J. 1166.

2. Superintendent and Remembrancer of legal Affairs Bengal Vs. Radha Kishen Agarwala 39 C. W. N. 656.

3. Mt. Jalsi Kuar Vs. Emperor 146 I. C. 298-1933 Cr. C. 1027-14 Pat. L. T. 438-A. I. R. 1933 Pat 471.

4. Venkatraju Vs. Subharao 1930 M. W. N. 57.

5. Ganpat Rao Vs. Emperor 28 N. L. R. 302-A. I. R. 1932 Nag. 174.

6. Bachchu Lal Vs. Emperor 162 I. C. 389 (2) 8 R. O. 376-36 Cr. L. J. 616-1936 O.M. N. 480.

7. Jwala Prasad Vs. Emperor 148 I. C. 351, 35 Cr. L. J. 677 (2) A. I. R. 1934 All. 331.

8. Matuk Deo Narain Singh Vs. Vinayak Prasad

and others 57 All. 83-150 I.C. 993-35 Cr. L.J. 11751934 A. L. J. 681-A. I. R. 1934 All. 829.

9. Basanta Kumar Das Vs. Nagendra Nath Pal 137 I. C. 425-A. I. R. 1932 Cal. 719.

10. Nanak Lal Vs. Brijnath Agarawala 16 Pat. L. T. 629-A. I. R. 1935 Pat. 474.

11. Mangal Vs. Kalu 12 Lah. 383-130 I. C. 783 (2)-32 Cr. L. J. 616-1931 Cr. C. 120 (1)-31 P. L. R. 945 A. I. R. 1931 Lah. 56 (1).

12. Emperor V. Chand Gonika 15 Lah. 63-35 P. L. R. R. 8-151. I. C. 830 (1). 35 Cr. L. J. 1436-1934 Cr. C. 333 A. I. R. 1934 Lah. 155.

13. Kaluram Daga Vs. Emperor 143 I. C. 279-34 Cr. L. J. 554-37 C. W. N. 626-1933 Cr. C. 705 (1)-A. I. R. 1933 Cal. 433 (1).

14. Sukha Sahu Vs. Emperor 13 Pat. L. T. 791.

Rulings on Child Marriage Restraint Act. XIX of 1929

Sec. 1. Act, not Ultra Vires. Where in a prosecution for a Hindu Child marriage the accused pleaded that the Act was Ultra Vires. Held that so far as the Hindus were concerned the changes introduced in the Select committee were not such as to render inadequate the previous sanction of the Governor General and render the Act invalid. 146 I. C. 298—1933 Cr. C. 1027—Patna L. T. 438—1933 Pat. 471. Courts ought not to treat the Act as a legislative imposture 146 I. C. 298—14 Pat. L. T. 438—1933 Pat. 471.

The marriage of a child in contravention of the provisions of the Child marriage Restraint Act is not declared by that Act to be an invalid marriage. The Act merely imposes certain penalties on persons bringing about such marriages. 1936 **A. L. J. 1097—1936 All. 852.**

The Act aims at and deals with the restraint of the performance of the child marriage. It has nothing to do with the validity or invalidity of the marriage. The question of its validity is beyond the scope of the Act 158 I. C. 1007—36 Cr. L. J. 1483—1935 A. W. R. 115.

Although the Act does not render a child marriage void, a court of law ought not to sanction expenditure of funds in the hands of

the court, through its receiver, for the purpose of meeting a child marriage of which the legislature has clearly expressed its disapproval by the Act 63 Cal. 1153.

Applicability to Subjects of Native States—The Child marriage Restraint Act is applicable to all offences committed under the Act in British India though the offenders are foreigners or Subjects of Native States. 39 C. W. N. 656.

Prosecution under the Act—Acquittal—Revision to High Court—Interference—Principles and practice. See 16 P. L. T. 629—1935 Pat. 474.

Sections 4 & 5—Where a marriage of a girl under 14 is conducted on the authority of a certificate from a person who holds less qualification than that of a Civil Surgeon that the girl is not under 14, the persons concerned are guilty and their action is not in good faith as they ought to go to Civil Surgeon to obtain certificate. The existence of the certificate so obtained is a matter which may be taken into account in considering whether imprisonment or fine should be ordered 148 I. C. 351—1934 All. 331. A trial under this act may be summary as it is permitted by Sec. 260 (1) (a) Cr. P. Code as the offences charged come under the heading "offences not punishable with imprisonment for a term exceeding six months", and the mere provison in S. 8 that the trial is to take place in the court of the District Magistrate does not mean that the trial should not be summary. 1934 Cr. C. 414 (2)—1934 All. 331—148 I. C. 351.

Secs. 5 & 6. Gauna ceremony not performed. Effect—The fact that the Gauna ceremony has not been performed as yet does not affect the performance of the marriage, which is complete as soon as the ceremony or the marriage is performed. Consummation is not a part of the marriage ceremony 158 I. C. 1006—36 Cr. L. J. 1483—1935 A. L. J. 1166.

Respective Scope—Secs. 5 and 6 deal with different offences S. 6 provides for the offence only in case where a minor himself contracts a child marriage. It is only in such a case that any person having charge of the minor whether a parent or guardian who does any act to promote the marriage permits to be solemnized, or negligently fails to prevent it from being solemnized shall be punishable.

S. 5 deals with the cases in which the marriage is not contracted by minor. The section not only relates to priests and strangers but is wide enough to cover the case of the fathers of both the bridegroom and the bride. 158 I. C. 1007—36 Cr. L. J. 1483 —1935 A. L. J. 1166.

Sentence on Priest. The courts are not at liberty to treat the act as a legislative imposture. In order to make it effective the court should pass a deterrrent sentence on the priest or other celebrant without whose aid the act could not have been infringed. 146 I. C. 298—14 Pat. L. T. 438—1933 Pat. 471. For the purposes of S. 5 of the Act it is only the marriage ceremony that

has to be considered. It is quite immaterial where, when or by whom the *Tilak* ceremony is performed. The marriage cannot be properly called a 'consequence' of the *Tilak* ceremony. Therefore the offence, under S. 5 of performing, conducting or directing a child marriage must under S. 177 Cr. P. Code be enquired into by a court within whose jurisdiction the marriage is performed 150 I. C. 993—35 Cr. L. J. 1175 (1)—1934 A. L. J. 681—1934 All. 829 (1) Liability of parents See 1932 Nag. 174.

The mere submission of an application to the Municipal Board for permission to hold a nach with music and fire-works etc., on the occasion of a marriage would not amount to an offence under S. 5 of the Act. 162 I. C. 389—(2)—36 Cr. L. J. 616—1936 O. W. N. 480—1936 Oudh 311.

Though the Child Marriage Restraint Act makes no mention of abetting yet under the provisions of the Penal Code a prosecution is possible for abetting an offence, although the accused is not father of one of the parties who is under age so long as the other party is below the prescribed age. In other words even if the prosecution is unable to establish that the girl was under 14 years of age, the father of the boy would be guilty of abetting an offence under the Act. 16 Pat. L. T. 629—1935 Pat 474.

The Child Marriage Restraint Act makes it an offence to celebrate a child marriage. This penal

law applies not only to the celebration of such a marriage even outside British India by native Indian subjects. The petitioners were convicted under sections 5 and 6 of the Act. They pleaded that at the time of marriage it was doubtful whether Frenchpet where the marriage was celebrated for which they were convicted was part of British India and therefore they were not liable to be convicted, held that the Act was extra territorial and that the mistake of fact under which they were labouring namely that Frenchpet was French Territory and not British India even if *bona-fide* did not render the celebration of the marriage innocuous or innocent and it did not follow that the proceedings were void or that the conviction was wrong. A mistake of fact like the one could be pleaded successfully only if on account of such mistake an act which otherwise would be an offence ceased to be an offence. There was consequently nothing illegal in the conviction 45 L. W. 210—1937 Mad. 273—(1937) 1. M. L. J. 388.

Section 6.

"When a minor contracts a child marriage. Both parties minor." This expression is wide enough to cover a case of a marriage to which both parties are minors as well as one to which one party is a minor. (Ganpat Rao *versus* Emperor A. I. R. 1932 Nag. 174).

A *Purohit* prosecuted under section 5 of the Sarda Act has the burden on him to prove that

he had reasons to believe that neither of the parties to the marriage was a child as defined by the Act. The section contemplates that the person solemnizing a marriage must make some reasonable enquiry and satisfy himself that neither of the participants is a child. It is not enough if he merely looks at the bride and bridegroom and form his own opinion. The law casts on him the duty of making reasonable enquiry and if he makes none, he renders himself liable to conviction.

Public Prosecutor Vs. Rattyya.

168 I. C. 723
= I. L. K. (1937) Mad. 851
= 38 Cr. L. J. 594
= 1937 A. I. R. Mad. 490.

Section 8. See 1934 All. 331 cited under S. 4.

Reading S. 8 of the Act with S. 10 (2) of the Cr. P. Code it must be held that an Additional District Magistrate who is invested with all the powers of District Magistrate under S. 10 (2) of the C. P. Code is empowered to try cases under the Child Marriage Restraint Act 45 L.W. 435—(1937) 1 M. L. J. 498.

A court taking cognizance of an offence under the Child Marriage Restraint Act is not bound to hold a preliminary inquiry before issuing summons on the accused. 15 Lah. 63—35 P. L. R. 8—35 Cr. L. J. 1436—151 I. C. 830—1934 Lah. 155.

The mere fact that the security bond executed by the complainant under S. 11 is defective does not affect the merits of the case and therefore does not vitiate the trial 162 I. C. 389—37 Cr. L. J. 616—1936 Oudh 311.

APPENDIX III.

Government of India.

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

The following Act of the Indian Legislature received the assent of the Governor-General on the 9th April 1938, and is hereby promulgated for general information :—

ACT NO. XIX OF 1938.

An Act further to amend the Child Marriage Restraint Act 1929.

Whereas it is expedient further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929 it is hereby enacted as follows:—

XIX of 1929.

1. This Act may be called the Child Marriage Restraint (Second Amendment) Act, 1938.

Short title.

2. In clause (*c*) of Section 2 of the Child Marriage Restraint Act 1929 (hereinafter referred to as the said Act), between the words "is" and "thereby" the words "or is about to be" shall be inserted.

XIX of 1929.

Amendment of section 2 Act XIX of 1929.

3. In Section 8 of the said Act for the words 'District Magistrate' the words "Magistrate of the first class" shall be substituted.

Amendment of Section 8, Act XIX of 1929.

4. For Section 9 of the said Act the following shall be substituted, namely :—

Substitution of new Section for Section 9, Act XIX of 1929.

"9. No court shall take cognizance of any offence under this Act after the expiry of one year from the date on which the offence is alleged to have been committed."

5. For sub-section (1) of Section 11 of the said Act the following shall be substituted namely :—

Amendment of Section 11, Act XIX of 1929.

"(1) When the court takes cognizance of any offence under this Act upon a complaint made to it, it may for reasons to be recorded in writing, at any time after examining the complainant and before issuing process for compelling the attendance of the accused, require the complainant to execute a bond, with or without sureties, for a sum not exceeding one hundred rupees, as

security for the payment of any compensation which the complainant may be directed to pay under Section 250 of the Code of Criminal Procedure, 1898, and if such security is not furnished within such reasonable time as the court may fix, the complaint shall be dismissed.

V of 1898.

6. The following Section shall be added as Section 12 of the said Act, namely:—

Insertion of new Section 12 in Act XIX of 1929.

12. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the court may, if satisfied from information laid before it through a complaint or otherwise that a child marriage contravention of this Act has been arranged or is about to be solemnised, issue an injunction against any of the persons mentioned in Sections 3, 4, 5 and 6 of this Act prohibiting such marriage.

Power to issue injunction prohibiting marriage in contravention of this Act.

(2) No injunction under sub-section (1) shall be issued against any person unless the court has previously given notice to such person, and has afforded him an opportunity to show cause against t he issue of the injunction.

(3) The court may either on its own motion or on the application of any person aggrieved rescind or alter any order made under sub-section (1).

(4) Where such an application is received, the court shall afford the applicant an early opportunity of appearing before it either in person or by pleader; and if the court rejects the application wholly or in part, it shall record in writing its reasons for so doing.

(5) Whoever knowing that an injunction has been issued against him under sub-section (1) of this Section disobeys such injuction shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Provided that no woman shall be punished with imprisonment.

शारदा एक्ट पर सम्मति

बड़ोदा आर्य्यकन्यामहाविद्यालय के कुलपति
श्रीमान् राज्यरत्न राज्यमित्र पंडित आत्मारामजी अमृतसरी ने
इस "शारदा एक्ट" पुस्तक को पढ़कर निम्नलिखित
सम्मति प्रदान की है:—

शारदा एक्ट

ले० देशभक्त कुंवर चांदकरणजी शारदा बी. ए. एलएल. बी.

पुस्तक क्या है ? प्रमाणों, युक्तियों तथा अकाट्य facts and figures रूपी सागर को गागर में भरा है। प्रत्येक आर्य-हिन्दू के घर में इस पोथी की कथा होनी चाहिये। प्रत्येक हिन्दी-

सम्मति

भाषा पुस्तकालय तथा वाचनालय में, जो नगर वा ग्राम में बने, वहां गीता सर्वपूज्य हिन्दू-धर्म ग्रन्थों के साथ उक्त पोथी भी रखनी चाहिये। यह पुस्तक हिन्दू प्रजा को बलवान वीर बनावेगी और ग्रामसुधार में मार्गदर्शक का काम देगी। शारदा एक्ट क्या है ? वह यह पोथी बतावेगी। दूसरे राजा राममोहनराय आज कल कौन हैं ? सब विद्वान् जानते हैं कि—

असुर्य्या नाम ते लोकाः अन्धेन तमसा वृताः
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः
(ईश० उप० मं० ३)

पहिले विधवा हिन्दू देवी वा रानी, चाहे जौहर कर के वा जलकर सती होती रही, कभी आपत्तिकाली धर्म समझ कर वह वेद की उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध चलकर महापाप करती रही। परन्तु हिन्दूधर्म से इस परम पापरूपी अवैदिक अधर्म को क़ानून द्वारा महान राजर्षि वेदवेत्ता श्री राजा राममोहनरायजी ने बंद करवाने का काम किया और सरकारी क़ानून बनवा कर उनका नाम तथा काम हिन्दू धर्म को प्राचीन वैदिक ऋषिधर्म बनवाकर नारी जाति के संकटमोचक हारक के रूप में आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनके पीछे आज-कल जो दूसरे राजा राममोहनराय हुये हैं उनका शुभ तथा अमर नाम दीवानबहादुर श्री हरविलासजी सारडा हैं। वह क्यों हिन्दू जाति में दूसरे राजा राममोहनराय हैं इस बात का परिचय देना देशभक्त कुंवर श्री चांदकरणजी की इस पोथी का काम है।

निवेदक
आत्माराम अमृतसरी राज्यरत्न, राज्यमित्र, बड़ौदा राज्य